

विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापित करने के प्रस्तावों पर विचार करने के लिए श्री गोपाल के पिल्लई, विशेष सचिव, वाणिज्य विभाग की अध्यक्षता में 12 जून, 2006 को पूर्वाह्न 10.30 बजे आयोजित अनुमोदन बोर्ड की दूसरी बैठक का कार्यवृत्त

विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापित करने के प्रस्तावों पर विचार करने के लिए श्री गोपाल के पिल्लई, विशेष सचिव, वाणिज्य विभाग की अध्यक्षता में 12 जून, 2006 को पूर्वाह्न 10.30 बजे अनुमोदन बोर्ड की बैठक हुई। प्रतिभागियों की सूची संलग्न है। (परिशिष्ट I)

2. अध्यक्ष ने एसईजेड अधिनियम के अंतर्गत गठित अनुमोदन बोर्ड की दूसरी बैठक के लिए सदस्यों का स्वागत किया। उन्होंने विशेष आर्थिक क्षेत्रों से संबंधित मुद्दों पर विचार करने के लिए गठित मंत्रियों के अधिकार प्राप्त समूह द्वारा लिए गए निर्णयों के बारे में सदस्यों को जानकारी प्रदान की। उन्होंने सदस्यों को सूचित किया कि निर्णय लिया गया है कि :

(i) निम्नलिखित अपवादों के साथ एसईजेड नियमावली 2006 में बहु उत्पाद एवं क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड के लिए अधिसूचित क्षेत्र संबंधी विनिर्देशन बने रहेंगे :

जैव प्रौद्योगिकी तथा गैर परंपरागत ऊर्जा क्षेत्र एसईजेड (इसमें सौर ऊर्जा उपकरण / सेल शामिल हैं परंतु गैर परंपरागत ऊर्जा उत्पादन एवं विनिर्माण के लिए एसईजेड शामिल नहीं हैं)	40,000 वर्गमीटर के निर्मित प्रसंस्करण क्षेत्र के साथ 10 हेक्टेयर
गैर परंपरागत ऊर्जा उत्पादन एवं विनिर्माण	100 हेक्टेयर
रत्न एवं आभूषण	50,000 वर्गमीटर के निर्मित प्रसंस्करण क्षेत्र के साथ 10 हेक्टेयर

आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्रफल संबंधी विनिर्देश एसईजेड नियमावली में निर्धारित विनिर्देश के समान बने रहेंगे। तथापि, इसके अलावा, अवसंरचना की गुणवत्ता से संबंधित निम्नलिखित पैरामीटर शामिल किए जाएंगे :

- 24X7X365 - स्थिर फ्रिक्वेंसी पर अबाध विद्युत आपूर्ति
- अबाध एवं सुरक्षित डाटा पारेषण के लिए विश्वसनीय कनेक्टिविटी
- सेंट्रल एयर कंडीशनिंग
- अंतिम प्रयोक्ताओं के लिए रेडी टू यूज, फर्निशड प्लग एंड पे फेसिलिटी

(ii) बहु उत्पाद एसईजेड के लिए न्यूनतम प्रसंस्करण क्षेत्र 35 प्रतिशत तक होगा तथा अनुमोदन बोर्ड को लिखित रूप में कारण दर्ज करके न्यूनतम 25 प्रतिशत तक छूट प्रदान करने का अधिकार होगा।

(iii) एसईजेड अधिनियम 2005 के अंतर्गत एसईजेड के अंतिम अनुमोदनों की कुल संख्या शुरू में 150 तक सीमित होगी (इसमें एसईजेड अधिनियम के अंतर्गत पहले प्रदान किए जा चुके अंतिम अनुमोदन शामिल होंगे तथा ऐसे एसईजेड शामिल नहीं होंगे जो 10 फरवरी 2006 से पहले स्थापित हो गए हैं)। इसके बाद ईजीओएम द्वारा स्थिति की समीक्षा की जाएगी।

3. अध्यक्ष ने अनुमोदन बोर्ड को यह भी सूचित किया कि ईजीओएम ने वाणिज्य विभाग को विधि मंत्रालय से इस संबंध में परामर्श करने का भी निर्देश दिया है कि क्या नियम 5 (3) (अनुबंध 2 के मामले) के संदर्भ में एसईजेड नियमावली में संशोधन करने की आवश्यकता है तथा तदनुसार विधि मंत्रालय से परामर्श किया गया और विधायी कार्य विभाग ने यह राय व्यक्त की है कि इस चरण पर किसी कार्रवाई की आवश्यकता नहीं है। अध्यक्ष ने अनुमोदन बोर्ड को सूचित किया कि इसे ध्यान में रखते हुए 17 मार्च 2006 को अनुमोदन बोर्ड की पिछली बैठक में लिए गए ऐसे सभी मामलों में ईजीओएम द्वारा अनुमोदित संशोधनों को शामिल करते हुए अनुमोदन जारी किए जा रहे हैं।

4. इसके बाद अध्यक्ष ने आधिकारिक स्तर पर राजस्व विभाग और वाणिज्य विभाग के बीच लिए गए निर्णयों के बारे में अनुमोदन बोर्ड को जानकारी प्रदान की, जो इस प्रकार है :

(i) डीटीए की मौजूदा यूनिटों को एसईजेड में शिफ्ट होने से रोकने के उद्देश्य से यह प्रावधान करने पर सहमति हुई कि ऐसी यूनिटों को कर लाभ उपलब्ध होंगे जो अन्य बातों के साथ निम्नलिखित शर्तों को पूरा करेंगी, अर्थात् :

(क) पहले से मौजूद किसी व्यवसाय के विभाजन या पुनर्गठन के माध्यम से गठन नहीं किया गया है; और

(ख) किसी प्रयोजन के लिए पहले प्रयुक्त मशीनरी या प्लांट के किसी नए व्यवसाय को ट्रांसफर करके गठन नहीं किया गया है। तथापि, भारत में आयातित सेकंड हैंड मशीनरी को नई मशीनरी के रूप में लिया जाएगा।

वाणिज्य विभाग और राजस्व विभाग उक्त उद्देश्य को कानूनी तौर पर पूर्णतः सुरक्षित करने के लिए अपेक्षित कदमों पर परामर्श करेंगे। यह भी निर्णय लिया गया कि एक संयुक्त प्रेस विज्ञप्ति जारी की जाएगी जिसमें इस बात का उल्लेख होगा कि ऐसी यूनिटें कर रियायत के लिए पात्र नहीं होंगी जो उपर्युक्त निर्धारित शर्तों को पूरा नहीं करती हैं। वाणिज्य विभाग और राजस्व विभाग द्वारा संयुक्त रूप से तैयार किए गए विस्तृत दिशानिर्देश क्षेत्रीय कार्यालयों और अनुमोदन समितियों को भी जारी किए जाएंगे।

(ii) एसईजेड के अंदर माल एवं सेवाओं के उत्पादन को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से इस बात पर सहमति हुई कि यद्यपि एसईजेड यूनिटों को व्यापार की सभी प्रकार की गतिविधियों का संचालन करने की अनुमति होगी, धारा 10 ए के अंतर्गत लाभों के प्रयोजनार्थ सेवाओं की परिभाषा में ऐसा व्यापार शामिल नहीं होगा जो आयातित माल के पुनः निर्यात से भिन्न होगा। इसके अलावा, वाणिज्य विभाग द्वारा इस बात की पुष्टि की गई कि एसईजेड अधिनियम में मौजूदा प्रावधान यह है कि धारा 10ए के अंतर्गत लाभ तभी उपलब्ध होगा जब सेवाएं भारत के बाहर उपलब्ध कराई जाती हैं अर्थात् सेवाओं का उपभोग भारत के बाहर होता है।

(iii) एसईजेड अधिनियम के अंतर्गत 'विनिर्माण' के रूप में वर्गीकृत विभिन्न गतिविधियों जैसे कि कृषि, अक्वाकल्चर, पशु पालन, फ्लोरीकल्चर, बागवानी, मछली पालन, मुर्गी पालन, रेशम उत्पादन, विटीकल्चर और खनन के कार्य क्षेत्र की समीक्षा की जाएगी ताकि सुनिश्चित हो कि इन गतिविधियों के फलस्वरूप एसईजेड यूनिट के माध्यम से उत्पादों के केवल व्यापार के लिए कर लाभ प्राप्त न हो। दिशानिर्देश वाणिज्य विभाग और राजस्व विभाग द्वारा संयुक्त रूप से तैयार किए जाएंगे तथा यूनिट अनुमोदन समितियों को जारी किए जाएंगे।

(iv) एसईजेड में स्थित यूनिटें केवल धारा 10ए के अंतर्गत अर्थात् निर्यात लाभ के लिए उपलब्ध कर लाभ के संबंध में मैट से छूट प्राप्त करेंगी।

(v) एसईजेड में गैर प्रसंस्करण क्षेत्र के भूमि प्रयोग से संबंधित नियमों को संशोधित किया जाएगा ताकि प्रावधान किया जा सके कि अनुमोदन बोर्ड द्वारा अनुमोदित सह विकासक को छोड़कर गैर प्रसंस्करण क्षेत्र में कोई खाली भूमि व्यवसाय तथा सामाजिक प्रयोजन जैसे कि शैक्षिक संस्था, अस्पताल, होटल, मनोरंजन एवं मनोरंजन की सुविधा, आवासीय एवं व्यवसाय परिसर के लिए पट्टा पर न दी जाए। तथापि, यह विकासक या सह विकासक को इस प्रयोजनार्थ उससे संबंधित खाली भूमि के साथ निर्मित अवसंरचना को पट्टा पर देने से नहीं रोकता है।

(vi) शुरुआती स्थापना के लिए गैर प्रसंस्करण क्षेत्र में अवसंरचना के विकास के लिए इयूटी फ्री सामग्री की अनुमति दी जानी चाहिए और अवसंरचना सुविधाओं जैसे कि होटल, आवास, मनोरंजन की सुविधाओं आदि के प्रचालन एवं अनुरक्षण के लिए कोई इयूटी फ्री सामग्री अनुमत नहीं होगी।

(vii) एसईजेड में अवमूल्यित आयात से बचने के लिए, जिसे डीटीए में क्लियर किया जा सकता है, स्पष्ट रूप से यह प्रावधान किया जाएगा कि एसईजेड के अंदर आयातित माल का मूल्य जो भी, जब उसे डीटीए में क्लियर किया जाएगा तो एसईजेड से डीटीए में क्लियरेंस के समय सीमा शुल्क अधिनियम एवं नियमावली के अनुसरण में मूल्यन / मूल्यांकन किया जाएगा। वाणिज्य विभाग द्वारा इस बात का उल्लेख किया गया कि एसईजेड नियमावली के नियम 47 (4) के साथ पठित एसईजेड अधिनियम की धारा 30 में पहले से ही इसका प्रावधान है।

(viii) राजस्व विभाग ने सुझाव दिया था कि एसईजेड में निर्मित 75 प्रतिशत आवास यूनिटों का उपयोग एसईजेड में काम करने वाले व्यक्तियों द्वारा किया जाना चाहिए और स्कूलों में 50 प्रतिशत सीटों का उपयोग भी ऐसे व्यक्तियों के बच्चों द्वारा किया जाना चाहिए। अन्य सामाजिक अवसंरचना के लिए, इसी तरह का कोई फार्मूला तैयार किया जा सकता है। इस बात पर सहमति हुई है कि प्रत्येक एसईजेड के लिए विभिन्न प्रकार की सामाजिक अवसंरचना के लिए आवश्यकता का मूल्यांकन विकासक द्वारा एसईजेड के लिए मास्टर प्लान के अनुसरण में किया जाना चाहिए तथा यह राष्ट्रीय / अंतर्राष्ट्रीय मानकों पर आधारित होना चाहिए और अनुमोदन समिति द्वारा अनुमोदित होना चाहिए। अनुमोदन बोर्ड द्वारा इस प्रयोजनार्थ विस्तृत दिशानिर्देश तैयार किए जाएंगे और मार्गदर्शन के लिए अनुमोदन समिति को संप्रेषित किए जाएंगे। शुल्क एवं कर रियायतें केवल अनुमोदन समिति द्वारा अनुमोदित सामाजिक अवसंरचना के संबंध में उपलब्ध होंगी तथा एसईजेड की आवश्यकता से अधिक

मात्रा में विकासक द्वारा स्थापित कोई अतिरिक्त अवसंरचना शुल्क एवं कर रियायत के लिए पात्र नहीं होगी।

(ix) एसईजेड यूनिटों द्वारा सेवाओं के निर्यात के मुद्दे पर, स्पष्ट किया गया कि भारत के बाहर प्रदान की गई सेवाओं को एसईजेड अधिनियम 2005 की धारा 2 (एम) के अर्थ के अंदर निर्यात के रूप में माना जाएगा और उनको सेवा कर से छूट प्रदान की जाएगी। तथापि, किसी एसईजेड यूनिट द्वारा निर्यातित और डीटीए में पुनः आयातित सेवा के लिए सेवा कर से छूट उपलब्ध नहीं होगी।

4. इसके बाद अनुमोदन बोर्ड ने चर्चा की कि केन्द्र सरकार (ईजीओएम) द्वारा अंतिम अनुमोदनों की संख्या पर लगाए गए आरंभिक प्रतिबंधों को ध्यान में रखते हुए प्रस्तावों के अनुमोदन के लिए कुछ मापदंड तैयार करने होंगे। निर्णय लिया गया कि किसी प्रस्ताव पर विचार करते समय सेक्टर, प्रस्तावित राज्य, प्रमोटर की वित्तीय क्षमता एवं पृष्ठभूमि आदि पर विचार किया जाना चाहिए तथा बड़ी परियोजनाओं, प्रतिनिधित्व विहीन क्षेत्रों / राज्यों में परियोजनाओं, विकासकों की वित्तीय स्थिति तथा विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (एफडीआई) वाले प्रस्तावों पर विचार किया जाना चाहिए।

5. इसके बाद अनुमोदन बोर्ड ने एजेंडा की मदों पर विचार किया जो इस प्रकार हैं :

एजेंडा की मद संख्या 3 :

एसईजेड नियमावली, 2006 के नियम 5(3) और अनुलग्नक II के तहत प्रस्ताव

1. ग्राम वंज, जिला सूरत, गुजरात में 56.65 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में गुजरात औद्योगिक विकास निगम द्वारा परिधान के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड की स्थापना

अनुमोदन बोर्ड ने नोट किया कि भूमि पर विकासक का कब्जा है। राज्य सरकार ने भी प्रस्ताव की सिफारिश की है। अनुमोदन बोर्ड ने यह भी नोट किया कि यह एसईजेड नियमावली, 2006 के नियम 5 के उप नियम (3) और अनुलग्नक II के तहत शामिल मामलों में से एक है। तदनुसार, अनुमोदन बोर्ड ने ग्राम वंज, जिला सूरत, गुजरात में 56.65 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में परिधान के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए औपचारिक अनुमोदन प्रदान करने का निर्णय लिया।

2. अहमदाबाद, गुजरात में 38 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में गुजरात औद्योगिक विकास निगम द्वारा परिधान के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड की स्थापना

अनुमोदन बोर्ड ने नोट किया कि राज्य सरकार ने पुष्टि की है कि गुजरात के माननीय उच्च न्यायालय ने अंतरिम आदेश के माध्यम से माननीय न्यायालय में लंबित आवेदन के परिणाम के अधीन 17.55 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में अपैरल पार्क के लिए एसईजेड के लिए उनको आवेदन करने की अनुमति प्रदान की है। अनुमोदन बोर्ड ने यह भी नोट किया कि यह एसईजेड नियमावली, 2006 के नियम 3 के उप नियम (5) और अनुलग्नक II के तहत शामिल मामलों में से एक है। तदनुसार,

अनुमोदन बोर्ड ने अहमदाबाद, गुजरात में 38 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में परिधान के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए औपचारिक अनुमोदन प्रदान करने का निर्णय लिया।

3. किझाकुट्टम, त्रिवेंद्रम, केरल में 9.2 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में केरल औद्योगिक अवसंरचना विकास निगम द्वारा आईटी (एनिमेशन और गेमिंग) के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड की स्थापना

अनुमोदन बोर्ड ने नोट किया कि भूमि पर विकासक का कब्जा है। राज्य सरकार ने भी प्रस्ताव की सिफारिश की है। अनुमोदन बोर्ड ने यह भी नोट किया कि यह एसईजेड नियमावली, 2006 के नियम 3 के उप नियम (5) और अनुलग्नक II के तहत शामिल मामलों में से एक है। तदनुसार, अनुमोदन बोर्ड ने किझाकुट्टम, त्रिवेंद्रम, केरल में 9.2 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में आईटी (एनिमेशन और गेमिंग) के लिए क्षेत्र विशिष्ट विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापित करने के लिए औपचारिक अनुमोदन प्रदान करने का निर्णय लिया।

4. कक्कनचेरी, कालीकट के पास, केरल में 12 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में केरल औद्योगिक अवसंरचना विकास (किनफ्रा) निगम द्वारा खाद्य प्रसंस्करण के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड की स्थापना

अनुमोदन बोर्ड ने नोट किया कि भूमि पर विकासक का कब्जा है। राज्य सरकार ने भी प्रस्ताव की सिफारिश की है। अनुमोदन बोर्ड ने यह भी नोट किया कि यह एसईजेड नियमावली, 2006 के नियम 3 के उप नियम (5) और अनुलग्नक II के तहत शामिल मामलों में से एक है। तदनुसार, अनुमोदन बोर्ड ने कक्कनचेरी, कालीकट के पास, केरल में 12 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में खाद्य प्रसंस्करण के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए औपचारिक अनुमोदन प्रदान करने का निर्णय लिया।

5. शास्त्री पार्क, दिल्ली में 6 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में मैसर्स दिल्ली मेट्रो रेल कार्पोरेशन द्वारा आईटी के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड की स्थापना

अनुमोदन बोर्ड ने नोट किया कि भूमि पर विकासक का कब्जा है। राज्य सरकार ने भी प्रस्ताव की सिफारिश की है। अनुमोदन बोर्ड ने यह भी नोट किया कि यह एसईजेड नियमावली, 2006 के नियम 3 के उप नियम (5) और अनुलग्नक II के तहत शामिल मामलों में से एक है। तदनुसार, अनुमोदन बोर्ड ने शास्त्री पार्क, दिल्ली में 6 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में आईटी के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए औपचारिक अनुमोदन प्रदान करने का निर्णय लिया।

6. अमृतसर, पंजाब में पंजाब लघु उद्योग एवं निर्यात निगम द्वारा क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड की स्थापना :

अनुमोदन बोर्ड ने नोट किया कि विकासक ने परियोजना का कोई विशिष्ट ब्यौरा प्रदान नहीं किया है। अनुमोदन बोर्ड ने यह भी नोट किया कि यह एसईजेड नियमावली, 2006 के नियम 3 के उप नियम (5) और अनुलग्नक II के तहत शामिल मामलों में से एक है। तदनुसार, अनुमोदन बोर्ड ने प्रस्ताव पर विचार करना आस्थगित करने का निर्णय लिया।

7. चेन्नई, तमिलनाडु में 60 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में कंसोर्टियम ऑफ शू मैन्युफैक्चरर्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा फुटवियर के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड की स्थापना

अनुमोदन बोर्ड ने नोट किया कि भूमि पर विकासक का कब्जा है। राज्य सरकार ने भी प्रस्ताव की सिफारिश की है। अनुमोदन बोर्ड ने यह भी नोट किया कि यह एसईजेड नियमावली, 2006 के नियम 3 के उप नियम (5) और अनुलग्नक II के तहत शामिल मामलों में से एक है। तदनुसार, अनुमोदन बोर्ड ने चेन्नई, तमिलनाडु में 60 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में फुटवियर के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए औपचारिक अनुमोदन प्रदान करने का निर्णय लिया।

एजेंडा की मद संख्या 4 (आस्थगित प्रस्ताव)

17 मार्च 2006 को आयोजित अनुमोदन बोर्ड की बैठक में अनुमोदन बोर्ड द्वारा निम्नलिखित आस्थगित प्रस्तावों पर विचार किया गया तथा निम्नलिखित निर्णय लिए गए :

1. पुणे, महाराष्ट्र में 20 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में मैसर्स विप्रो लिमिटेड द्वारा आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड की स्थापना

अनुमोदन बोर्ड ने राज्य सरकार के अनुरोध पर प्रस्ताव पर विचार करना आस्थगित करने का निर्णय लिया।

2. चेन्नई, तमिलनाडु में 60 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में मैसर्स कंसोर्टियम ऑफ शू मैन्युफैक्चरर्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा फुटवियर के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड की स्थापना

अनुमोदन बोर्ड ने नोट किया कि इस प्रस्ताव पर पहले विचार किया जा चुका है।

3. नोएडा, उत्तर प्रदेश में 16 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में मैसर्स एचसीएल टेक्नोपार्क लिमिटेड द्वारा आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड की स्थापना

अनुमोदन बोर्ड ने राज्य सरकार के अनुरोध पर प्रस्ताव पर विचार करना आस्थगित करने का निर्णय लिया।

4. गांव बमनौली, वसंत विहार, नई दिल्ली में 11 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में मैसर्स स्वीट होम एस्टेट प्राइवेट लिमिटेड द्वारा आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड की स्थापना :

अनुमोदन बोर्ड ने नोट किया कि यह दिल्ली में एसईजेड की स्थापना के लिए कुछ प्रस्तावों में से एक है। नोट किया गया कि यह प्रस्ताव अभी भी दिल्ली सरकार के विचाराधीन है। इन तथ्यों पर विचार करने के बाद अनुमोदन बोर्ड ने 60 दिन के अंदर राज्य सरकार से सिफारिश प्राप्त होने के अधीन अनुमोदन बोर्ड ने गांव बमनौली, वसंत विहार, नई दिल्ली में 11 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में मैसर्स स्वीट होम एस्टेट प्राइवेट लिमिटेड द्वारा आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए सैद्धांतिक अनुमोदन प्रदान करने का निर्णय लिया।

5. ग्रेटर नोएडा, उत्तर प्रदेश में 10 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में मैसर्स शांसा इंडिया लिमिटेड द्वारा आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड की स्थापना

राज्य सरकार के प्रतिनिधि ने सूचित किया कि राज्य सरकार ने इस प्रस्ताव पर अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया है और उन्होंने आस्थगित करने का अनुरोध किया। तदनुसार, अनुमोदन बोर्ड ने प्रस्ताव पर विचार करना आस्थगित करने का निर्णय लिया।

6. उसार, जिला रायगढ़, महाराष्ट्र में 103 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में एमआईडीसी द्वारा कैप्टिव पावर जनरेशन इंडस्ट्री के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड की स्थापना

7. अनुमोदन बोर्ड ने नोट किया कि अभी तक विद्युत मंत्रालय की टिप्पणियां प्राप्त नहीं हुई हैं। राज्य सरकार तथा एमआईडीसी के प्रतिनिधि ने आग्रह किया कि प्रस्ताव पर अनुकूल ढंग से विचार किया जाना चाहिए। विद्युत मंत्रालय से 60 दिन के अंदर टिप्पणियां प्राप्त होने के अधीन अनुमोदन बोर्ड ने उसार, जिला रायगढ़, महाराष्ट्र में 103 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में एमआईडीसी द्वारा कैप्टिव पावर जनरेशन इंडस्ट्री के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए सैद्धांतिक अनुमोदन प्रदान करने का निर्णय लिया। यह भी निर्णय लिया गया कि विद्युत विभाग के प्रतिनिधि को अनुमोदन बोर्ड की अगली बैठक में आमंत्रित किया जा सकता है।

8. भद्रावती, चंद्रपुर जिला, महाराष्ट्र में 1100 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में एमआईडीसी द्वारा कैप्टिव पावर जनरेशन इंडस्ट्री के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड की स्थापना

अनुमोदन बोर्ड ने नोट किया कि विद्युत मंत्रालय की टिप्पणियां प्राप्त नहीं हुई हैं। राज्य सरकार तथा एमआईडीसी के प्रतिनिधि ने आग्रह किया कि प्रस्ताव पर अनुकूल ढंग से विचार किया जाना चाहिए। विद्युत मंत्रालय से 60 दिन के अंदर टिप्पणियां प्राप्त होने के अधीन अनुमोदन बोर्ड ने भद्रावती, चंद्रपुर जिला, महाराष्ट्र में 1100 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में एमआईडीसी द्वारा कैप्टिव पावर जनरेशन इंडस्ट्री के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए सैद्धांतिक अनुमोदन प्रदान करने का निर्णय लिया। यह भी निर्णय लिया गया कि विद्युत विभाग के प्रतिनिधि को अनुमोदन बोर्ड की अगली बैठक में आमंत्रित किया जा सकता है।

9. चोरियासी, जिला हजीरा, गुजरात में 1100 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में मैसर्स एस्सार हजीरा द्वारा बहु उत्पाद एसईजेड की स्थापना

अनुमोदन बोर्ड ने नोट किया कि निर्धारित से कम भूमि पर विकासक का कब्जा है और राज्य सरकार ने 267 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में इंजीनियरिंग उत्पाद के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड के लिए प्रस्ताव की सिफारिश की है। तदनुसार, अनुमोदन बोर्ड ने चोरियासी, जिला हजीरा, गुजरात में 267 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में इंजीनियरिंग उत्पाद के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए औपचारिक अनुमोदन प्रदान करने का निर्णय लिया।

10. बंगलौर, कर्नाटक में 100 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में मैसर्स मिलेट इनफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड द्वारा अपैरल एवं फैशन असेसरीज के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड की स्थापना :

राज्य सरकार के प्रतिनिधि ने सूचित किया कि राज्य सरकार ने सैद्धांतिक अनुमोदन के लिए प्रस्ताव की सिफारिश की है। तदनुसार, अनुमोदन बोर्ड ने 60 दिन के अंदर राजस्व विभाग (केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड) से सकारात्मक रिपोर्ट प्राप्त होने के अधीन बंगलौर, कर्नाटक में 100 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में मैसर्स मिलेट इनफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड द्वारा अपैरल एवं फैशन असेसरीज के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए सैद्धांतिक अनुमोदन प्रदान करने का निर्णय लिया।

11. बंगलौर, कर्नाटक में 12.14 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में मैसर्स एमफार होल्डिंग्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड की स्थापना

अनुमोदन बोर्ड ने प्रस्ताव पर विचार करना आस्थगित करने का निर्णय लिया।

12. धौलपुर, राजस्थान में 100 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में मैसर्स राजस्थान एक्सप्लोसिव्स एंड केमिकल्स लिमिटेड द्वारा टेक्सटाइल एवं गारमेंट्स के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड की स्थापना :

राज्य सरकार के प्रतिनिधि ने सूचित किया कि इस ग्रुप से प्रस्ताव अभी भी राज्य सरकार के विचाराधीन हैं और उन्होंने आस्थगित करने का अनुरोध किया। तदनुसार, अनुमोदन बोर्ड ने प्रस्ताव पर विचार करना आस्थगित करने का निर्णय लिया।

13. धौलपुर, राजस्थान में 100 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में मैसर्स राजस्थान एक्सप्लोसिव्स एंड केमिकल्स लिमिटेड द्वारा आटो कंपोनेंट के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड की स्थापना :

राज्य सरकार के प्रतिनिधि ने सूचित किया कि इस ग्रुप से प्रस्ताव अभी भी राज्य सरकार के विचाराधीन हैं और उन्होंने आस्थगित करने का अनुरोध किया। तदनुसार, अनुमोदन बोर्ड ने प्रस्ताव पर विचार करना आस्थगित करने का निर्णय लिया।

14. धौलपुर, राजस्थान में 100 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में मैसर्स राजस्थान एक्सप्लोसिव्स एंड केमिकल्स लिमिटेड द्वारा इंजीनियरिंग के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड की स्थापना :

राज्य सरकार के प्रतिनिधि ने सूचित किया कि इस ग्रुप से प्रस्ताव अभी भी राज्य सरकार के विचाराधीन हैं और उन्होंने आस्थगित करने का अनुरोध किया। तदनुसार, अनुमोदन बोर्ड ने प्रस्ताव पर विचार करना आस्थगित करने का निर्णय लिया।

15. धौलपुर, राजस्थान में 100 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में मैसर्स राजस्थान एक्सप्लोसिव्स एंड केमिकल्स लिमिटेड द्वारा लेदर गुड्स के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड की स्थापना :

राज्य सरकार के प्रतिनिधि ने सूचित किया कि इस ग्रुप से प्रस्ताव अभी भी राज्य सरकार के विचाराधीन हैं और उन्होंने आस्थगित करने का अनुरोध किया। तदनुसार, अनुमोदन बोर्ड ने प्रस्ताव पर विचार करना आस्थगित करने का निर्णय लिया।

16. धौलपुर, राजस्थान में 100 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में मैसर्स राजस्थान एक्सप्लोसिव्स एंड केमिकल्स लिमिटेड द्वारा हैंडीक्राफ्ट्स के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड की स्थापना :

राज्य सरकार के प्रतिनिधि ने सूचित किया कि इस ग्रुप से प्रस्ताव अभी भी राज्य सरकार के विचाराधीन हैं और उन्होंने आस्थगित करने का अनुरोध किया। तदनुसार, अनुमोदन बोर्ड ने प्रस्ताव पर विचार करना आस्थगित करने का निर्णय लिया।

17. धौलपुर, राजस्थान में 35 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में मैसर्स राजस्थान एक्सप्लोसिव्स एंड केमिकल्स लिमिटेड द्वारा आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड की स्थापना

राज्य सरकार के प्रतिनिधि ने सूचित किया कि इस ग्रुप से प्रस्ताव अभी भी राज्य सरकार के विचाराधीन हैं और उन्होंने आस्थगित करने का अनुरोध किया। तदनुसार, अनुमोदन बोर्ड ने प्रस्ताव पर विचार करना आस्थगित करने का निर्णय लिया।

18. धोलेरा गांव, धंधुका तालुक, अहमदाबाद जिला, गुजरात में 1000 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में मैसर्स गुजरात अडानी एक्सपोर्ट्स लिमिटेड द्वारा बहु उत्पाद एसईजेड की स्थापना :

अनुमोदन बोर्ड ने नोट किया कि यह प्रस्ताव बहु उत्पाद एसईजेड के लिए है परंतु भूमि पर विकासक का कब्जा नहीं है। राज्य सरकार ने भी 1000 हेक्टेयर के लिए प्रस्ताव की सिफारिश की है। तदनुसार, अनुमोदन बोर्ड ने धोलेरा गांव, धंधुका तालुक, अहमदाबाद जिला, गुजरात में 1000 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में मैसर्स गुजरात अडानी एक्सपोर्ट्स लिमिटेड द्वारा बहु उत्पाद एसईजेड स्थापित करने के लिए सैद्धांतिक अनुमोदन प्रदान करने का निर्णय लिया।

अन्य प्रस्ताव

19. एयरली, नवी मुंबई में 25.12 एकड़ के क्षेत्रफल में आईटी / आईटीईएस के लिए एसईजेड स्थापित करने के लिए आस्थगित प्रस्ताव पर विचार करने के लिए मैसर्स पटनी कंप्यूटर्स से अनुरोध:

अनुमोदन बोर्ड को सूचित किया गया कि प्रस्तावित क्षेत्र में इमारतें मौजूद हैं। अनुमोदन बोर्ड ने नोट किया कि एसईजेड की स्थापना केवल संपर्शी भूमि पर की जा सकती है जो आवेदन की तिथि को खाली होनी चाहिए और प्रस्ताव को अस्वीकार करने का निर्णय लिया गया।

20. मौजा - बनग्राम, जिला दक्षिण 24 परगना, पश्चिम बंगाल में 12.14 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में मैसर्स ओवल डवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर एवं साफ्टवेयर के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड की स्थापना :

राज्य सरकार के प्रतिनिधि ने सूचित किया कि राज्य सरकार द्वारा प्रस्ताव अभी अभी तक क्लियर नहीं किया गया है और उन्होंने आस्थगित करने का अनुरोध किया। तदनुसार, अनुमोदन बोर्ड ने प्रस्ताव पर विचार करना आस्थगित करने का निर्णय लिया।

22. आंध्र प्रदेश सरकार के प्रतिनिधि ने सूचित किया कि 17 मार्च 2006 को आयोजित अनुमोदन बोर्ड की बैठक में उनके 4 प्रस्तावों पर विचार किया गया तथा सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग, आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड की स्थापना के लिए 4 मामलों में सैद्धांतिक अनुमोदन प्रदान किया गया है। उन्होंने यह भी सूचित किया कि इसके बाद उन्होंने औपचारिक अनुमोदन के लिए अनुरोध किया है क्योंकि भूमि उनके कब्जे में है। अनुमोदन बोर्ड ने विचार करने के लिए इन मामलों को लिया परंतु पाया गया कि इनमें से तीन मामलों के लिए अनुमोदन बोर्ड द्वारा अपनी पहली बैठक में औपचारिक अनुमोदन प्रदान किया जा चुका है, जबकि एक प्रस्ताव को वापस ले लिया गया है (17 मार्च 2006 को आयोजित अनुमोदन बोर्ड की बैठक के कार्यवृत्त की क्रम संख्या 73, 74, 97, 98)।

एजेंडा की मद संख्या 5 :

नए प्रस्ताव

इसके बाद अनुमोदन बोर्ड ने सभी नए प्रस्तावों को विचार करने के लिए लिया। अनुमोदन बोर्ड ने निम्नलिखित सिफारिशों की :

(क) औपचारिक अनुमोदनों के लिए सिफारिशें

(* उल्लिखित नंबर क्रमांक हैं जिनका उल्लेख एजेंडा में नए आवेदन क्रमांक 1-111 के लिए किया गया है)

1*. एन नरसापुरम, नल्लमपट्टीपालेम, राजाय्यापेटा, लक्ष्मीपुरम, तेनेरला गांव, नाकापल्ली मंडल, विशाखापट्टनम जिला, आंध्र प्रदेश में 100 एकड़ के क्षेत्रफल में मैसर्स हेट्रो ड्रग्स लिमिटेड द्वारा फार्मास्युटिकल - बल्क ड्रग / ड्रग इंटरमीडिएट / फार्मलेशन / केमिकल / संबद्ध केमिकल इंजीनियरिंग एंसीलरी के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड की स्थापना :

अनुमोदन बोर्ड ने नोट किया कि भूमि पर विकासक का कब्जा है और राज्य सरकार ने भी प्रस्ताव की सिफारिश की है। तदनुसार अनुमोदन बोर्ड ने एन नरसापुरम, नल्लमपट्टीपालेम, राजाय्यापेटा, लक्ष्मीपुरम, तेनेरला गांव, नाकापल्ली मंडल, विशाखापट्टनम जिला, आंध्र प्रदेश में 100 एकड़ के क्षेत्रफल में मैसर्स हेट्रो ड्रग्स लिमिटेड द्वारा फार्मास्युटिकल - बल्क ड्रग / ड्रग इंटरमीडिएट / फार्मलेशन / केमिकल / संबद्ध केमिकल इंजीनियरिंग एंसीलरी के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए औपचारिक अनुमोदन प्रदान करने का निर्णय लिया।

12. ग्राम पजीरु, कैरांगला और कुरुनाडु, बंटवाल तालुक, दक्षिण कन्नड़ जिला, कर्नाटक में 125 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में मैसर्स इंफोसिस टेक्नोलाजीज लिमिटेड द्वारा आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड की स्थापना

अनुमोदन बोर्ड ने नोट किया कि यह प्रस्ताव विशाल आईटी / आईटीईएस एसईजेड के लिए है और भूमि पर विकासक का कब्जा है। राज्य सरकार ने भी प्रस्ताव की सिफारिश की है। तदनुसार, अनुमोदन बोर्ड ने ग्राम पजीरु, कैरांगला और कुरुनाडु, बंटवाल तालुक, दक्षिण कन्नड़ जिला, कर्नाटक में 125 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में मैसर्स इंफोसिस टेक्नोलॉजीज लिमिटेड द्वारा आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए औपचारिक अनुमोदन प्रदान करने का निर्णय लिया।

24. गांव मुलुंद, तालुक कुरला, जिला मुंबई एवं गांव कोपरी, तालुक थाणे, जिला थाणे, महाराष्ट्र में **54.22** हेक्टेयर के क्षेत्रफल में जीयस इनफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड द्वारा आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड की स्थापना :

अनुमोदन बोर्ड ने नोट किया कि यह प्रस्ताव तर्कसंगत रूप से विशाल आईटी / आईटीईएस एसईजेड के लिए है और भूमि पर विकासक का कब्जा है। राज्य सरकार ने भी प्रस्ताव की सिफारिश की है। तदनुसार, अनुमोदन बोर्ड ने गांव मुलुंद, तालुक कुरला, जिला मुंबई एवं गांव कोपरी, तालुक थाणे, जिला थाणे, महाराष्ट्र में 54.22 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में जीयस इनफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड द्वारा आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए औपचारिक अनुमोदन प्रदान करने का निर्णय लिया।

28. सीएमसी सेंटर, गचिबाउली, हैदराबाद में **20.59** हेक्टेयर के क्षेत्रफल में मैसर्स सीएमसी लिमिटेड द्वारा आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड की स्थापना

अनुमोदन बोर्ड ने नोट किया कि यह प्रस्ताव मैसर्स सीएमसी लिमिटेड द्वारा प्रस्तावित मध्यम आकार के आईटी / आईटीईएस एसईजेड के लिए है जिनका भूमि पर कब्जा है। राज्य सरकार ने भी प्रस्ताव की सिफारिश की है। तदनुसार, अनुमोदन बोर्ड ने सीएमसी सेंटर, गचिबाउली, हैदराबाद में 20.59 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में मैसर्स सीएमसी लिमिटेड द्वारा आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए औपचारिक अनुमोदन प्रदान करने का निर्णय लिया।

30. मौझे हरिपुरा, तालुक धनधुका, जिला अहमदाबाद, गुजरात में **200** हेक्टेयर के क्षेत्रफल में सीपीएल इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड द्वारा फर्मास्युटिकल्स के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड की स्थापना

अनुमोदन बोर्ड ने नोट किया कि यह प्रस्ताव अहमदाबाद में केडिला ग्रुप द्वारा विकसित किए जाने वाले फर्मास्युटिकल एसईजेड के लिए है, जिनका भूमि पर कब्जा है और राज्य सरकार ने भी अनुमोदन के लिए सिफारिश की है। तदनुसार, अनुमोदन बोर्ड ने मौझे हरिपुरा, तालुक धनधुका, जिला अहमदाबाद, गुजरात में 200 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में फर्मास्युटिकल्स के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए औपचारिक अनुमोदन प्रदान करने का निर्णय लिया।

31. सपिपॉट औद्योगिक क्षेत्र श्रीपेरंबदूर, तमिलनाडु में **120** हेक्टेयर के क्षेत्रफल में स्टेट इंडस्ट्रीज प्रमोशन कार्पोरेशन ऑफ तमिलनाडु लिमिटेड द्वारा ट्रेडिंग तथा लाजिस्टिक की गतिविधियों

सहित इलेक्ट्रानिक्स / टेलीकॉम हार्डवेयर एवं सहायता सेवाओं के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड की स्थापना

अनुमोदन बोर्ड ने नोट किया कि प्रस्ताव तमिलनाडु में एक विशाल इलेक्ट्रानिक्स / टेलीकॉम हार्डवेयर एवं सहायता सेवा एसईजेड के लिए है। राज्य सरकार ने प्रस्ताव की सिफारिश की है। तदनुसार, अनुमोदन बोर्ड ने सिपकाँट औद्योगिक क्षेत्र श्रीपेरंबदूर, तमिलनाडु में 120 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में स्टेट इंडस्ट्रीज प्रमोशन कार्पोरेशन ऑफ तमिलनाडु लिमिटेड द्वारा इलेक्ट्रानिक्स / टेलीकॉम हार्डवेयर एवं सहायता सेवाओं के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए औपचारिक अनुमोदन प्रदान करने का निर्णय लिया।

34. ह्वाइटफील्ड रोड, बंगलौर, कर्नाटक में **10.879** हेक्टेयर के क्षेत्रफल में इंफार्मेशन टेक्नोलॉजी पार्क लिमिटेड द्वारा आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड की स्थापना

अनुमोदन बोर्ड ने नोट किया कि यह प्रस्ताव टाटा ग्रुप तथा सिंगापुर आधारित कंपनी के बीच एक संयुक्त उद्यम से है और इसमें एफडीआई शामिल है। राज्य सरकार ने भी प्रस्ताव की सिफारिश की है तथा भूमि पर उनका कब्जा है। तदनुसार, अनुमोदन बोर्ड ने ह्वाइटफील्ड रोड, बंगलौर, कर्नाटक में 10.879 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में इंफार्मेशन टेक्नोलॉजी पार्क लिमिटेड द्वारा आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए इस शर्त के अधीन औपचारिक अनुमोदन प्रदान करने का निर्णय लिया कि विदेशी प्रत्यक्ष निवेश उक्त एसईजेड की स्थापना के लिए विकासक / सह विकासक द्वारा किए गए कुल निवेश का कम से कम 50 प्रतिशत होना चाहिए।

36. जिला सोलापुर, महाराष्ट्र में **195** हेक्टेयर के क्षेत्रफल में एमआईडीसी द्वारा वस्त्र के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड की स्थापना

अनुमोदन बोर्ड ने नोट किया कि यह प्रस्ताव जिला सोलापुर, महाराष्ट्र में क्षेत्र विशिष्ट वस्त्र उद्योग एसईजेड की स्थापना के लिए है जो टेक्सटाइल केन्द्र के रूप में विख्यात है और यह कि भूमि पर विकासक का कब्जा है। राज्य सरकार ने भी अनुमोदन के लिए पुरजोर सिफारिश की है। तदनुसार, अनुमोदन बोर्ड ने जिला सोलापुर, महाराष्ट्र में 195 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में एमआईडीसी द्वारा वस्त्र के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए औपचारिक अनुमोदन प्रदान करने का निर्णय लिया।

38. जिला यवतमल, महाराष्ट्र में **208** हेक्टेयर के क्षेत्रफल में एमआईडीसी द्वारा वस्त्र के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड की स्थापना

अनुमोदन बोर्ड ने नोट किया कि यह प्रस्ताव जिला यवतमल, महाराष्ट्र में क्षेत्र विशिष्ट वस्त्र एसईजेड की स्थापना के लिए है और भूमि पर विकासक का कब्जा है। राज्य सरकार ने भी अनुमोदन के लिए सिफारिश की है। तथापि, अनुमोदन बोर्ड ने नोट किया कि एमआईडीसी जो राज्य सरकार का उपक्रम है, जिसे अनेक एसईजेड के लिए अनुमोदन प्रदान किए गए हैं परंतु राज्य सरकार तथा एमआईडीसी के प्रतिनिधि ने सूचित किया कि उक्त क्षेत्र में कोई एसईजेड नहीं है और इससे उक्त

जिले में गतिविधियों को बल मिलेगा। तदनुसार, अनुमोदन बोर्ड ने 208 हेक्टेयर के विशाल क्षेत्रफल को ध्यान में रखते हुए जिला यवतमल, महाराष्ट्र में 208 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में एमआईडीसी द्वारा वस्त्र के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए औपचारिक अनुमोदन प्रदान करने का निर्णय लिया।

41. रंगारेड्डी जिला, आंध्र प्रदेश में **202.4** हेक्टेयर के क्षेत्रफल में मैसर्स सांघी इंडस्ट्रीज लिमिटेड द्वारा आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड की स्थापना

अनुमोदन बोर्ड ने नोट किया कि यह प्रस्ताव आंध्र प्रदेश में विशाल आईटी / आईटीईएस एसईजेड की स्थापना के लिए है। विकासक का भूमि पर कब्जा है। राज्य सरकार ने सूचित किया कि अभी तक उन्होंने प्रस्ताव की जांच नहीं की है। तथापि, अनुमोदन बोर्ड ने प्रस्तावित एसईजेड के विशाल आकार तथा इस बात को ध्यान में रखते हुए कि भूमि पर विकासक का कब्जा है, 60 दिन के अंदर राज्य सरकार की सिफारिश प्राप्त होने के अधीन रंगारेड्डी जिला, आंध्र प्रदेश में 202.4 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में मैसर्स सांघी इंडस्ट्रीज लिमिटेड द्वारा आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए औपचारिक अनुमोदन प्रदान करने का निर्णय लिया।

76. शिमोगा, कर्नाटक में **169.6** हेक्टेयर के क्षेत्रफल में कर्नाटक औद्योगिक क्षेत्र विकास बोर्ड द्वारा इंजीनियरिंग एवं संबद्ध उद्योगों के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड की स्थापना :

अनुमोदन बोर्ड ने नोट किया कि यह प्रस्ताव इंजीनियरिंग एवं संबद्ध उद्योगों के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए है, भूमि पर विकासक का कब्जा है और राज्य सरकार ने दूरस्थ क्षेत्र में स्थापित होने वाले प्रस्ताव की सिफारिश की है। तथापि, राज्य सरकार से इंजीनियरिंग और संबद्ध उद्योग के कार्य क्षेत्र को परिभाषित करने के लिए कहा गया क्योंकि यह शब्द बहुत व्यापक है। राज्य सरकार के प्रतिनिधि ने बताया कि उनका फोकस आटो उद्योग के लिए आटो कंपोनेंट तथा फोर्जिंग पर होगा। तदनुसार, अनुमोदन बोर्ड ने शिमोगा, कर्नाटक में 169.6 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में कर्नाटक औद्योगिक क्षेत्र विकास बोर्ड द्वारा आटोमोटिव और आटो कंपोनेंट के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए औपचारिक अनुमोदन प्रदान करने का निर्णय लिया।

78. महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले के खालापूर तालुक के चौक पर **242** हेक्टेयर के क्षेत्रफल में क्लैरिजेज होटल्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा बहु सेवा एसईजेड की स्थापना :

अनुमोदन बोर्ड ने नोट किया कि यह प्रस्ताव बहु सेवा एसईजेड के लिए है तथा राज्य सरकार ने सैद्धांतिक अनुमोदन प्रदान करने के लिए प्रस्ताव की सिफारिश की है। नोट किया गया कि 108 हेक्टेयर भूमि पर विकासक का कब्जा है। तदनुसार, अनुमोदन बोर्ड ने 60 दिन के अंदर राज्य सरकार की सिफारिश प्राप्त होने के अधीन महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले के खालापूर तालुक के चौक पर 242 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में क्लैरिजेज होटल्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा बहु सेवा एसईजेड स्थापित करने के लिए औपचारिक अनुमोदन प्रदान करने का निर्णय लिया। यह भी निर्णय लिया गया कि वे उस समय 100 हेक्टेयर से अधिक क्षेत्रफल में वृद्धि के लिए अनुमोदन बोर्ड से संपर्क कर सकते हैं जब वे

अतिरिक्त भूमि का अधिग्रहण करने में समर्थ हो जाएंगे क्योंकि यह प्रस्ताव 242 हेक्टेयर के कुल क्षेत्रफल के लिए है।

80. गुड़गांव, हरियाणा में 30.35 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में डा. फ्रेश हेल्थकेयर प्राइवेट लिमिटेड द्वारा आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड की स्थापना

अनुमोदन बोर्ड ने नोट किया कि यह प्रस्ताव आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड के लिए है और भूमि पर विकासक का कब्जा है। तथापि, राज्य सरकार ने सैद्धांतिक अनुमोदन प्रदान करने के लिए प्रस्ताव की सिफारिश की है। तदनुसार, अनुमोदन बोर्ड ने गुड़गांव, हरियाणा में 30.35 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में डा. फ्रेश हेल्थकेयर प्राइवेट लिमिटेड द्वारा आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए 60 दिन के अंदर राज्य सरकार की सिफारिश प्राप्त होने के अधीन औपचारिक अनुमोदन प्रदान करने का निर्णय लिया।

89. पूर्वी गोदावरी जिले में 4134 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में काकीनाडा एसईजेड प्राइवेट लिमिटेड द्वारा पोर्ट आधारित बहु उत्पाद एसईजेड की स्थापना

अनुमोदन बोर्ड ने नोट किया कि यह प्रस्ताव अन्यो के साथ एपीआईआईसी द्वारा स्थापित किए जाने के लिए पोर्ट आधारित बहु उत्पाद एसईजेड के लिए है और यह कि 1000 हेक्टेयर की भूमि पर विकासकों का कब्जा है। राज्य सरकार ने भी प्रस्ताव की पुरजोर सिफारिश की है। तदनुसार, अनुमोदन बोर्ड ने पूर्वी गोदावरी जिला, आंध्र प्रदेश में 1000 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में काकीनाडा एसईजेड प्राइवेट लिमिटेड द्वारा पोर्ट आधारित बहु उत्पाद एसईजेड स्थापित करने के लिए औपचारिक अनुमोदन प्रदान करने का निर्णय लिया। यह भी निर्णय लिया गया कि जब वे और भूमि का अधिग्रहण कर लेंगे तब वे एसईजेड के क्षेत्रफल में वृद्धि के लिए अनुमोदन बोर्ड से संपर्क कर सकते हैं।

106. हैदराबाद में 486 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में फैब सिटी एसपीवी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड द्वारा एफटीडब्ल्यूजेड की स्थापना

अनुमोदन बोर्ड ने नोट किया कि भूमि पर विकासक का कब्जा है परंतु रिकार्ड में प्रमोटर का वित्तीय ब्यौरा उपलब्ध नहीं कराया गया है। तथापि, राज्य सरकार के प्रतिनिधि ने सूचित किया कि उन्होंने परियोजना का मूल्यांकन किया है और भारत सरकार तथा आंध्र प्रदेश सरकार भी इस परियोजना में योगदान कर रही है और एसपीवी के अन्य साझेदारों की वित्तीय पृष्ठभूमि भी मजबूत है। तदनुसार, अनुमोदन बोर्ड ने हैदराबाद में 486 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में फैब सिटी एसपीवी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड द्वारा एफटीडब्ल्यूजेड स्थापित करने के लिए औपचारिक अनुमोदन प्रदान करने का निर्णय लिया।

(ख) सैद्धांतिक अनुमोदनों के लिए सिफारिशें :

(* उल्लिखित नंबर क्रमांक हैं जिनका उल्लेख एजेंडा में नए आवेदन क्रमांक 1-111 के लिए किया गया है)

7*. उत्तर बंगलौर (नए इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास), कर्नाटक में 100 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में हाई स्किल इनवेस्टमेंट कंसल्टेंसी प्राइवेट लिमिटेड द्वारा आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड की स्थापना

अनुमोदन बोर्ड ने नोट किया कि यह प्रस्ताव विशाल आईटी एसईजेड के लिए है। राज्य सरकार ने भी प्रस्ताव की सिफारिश की है। तदनुसार, अनुमोदन बोर्ड ने उत्तर बंगलौर (नए इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास), कर्नाटक में 100 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में हाई स्किल इनवेस्टमेंट कंसल्टेंसी प्राइवेट लिमिटेड द्वारा आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए सैद्धांतिक अनुमोदन प्रदान करने का निर्णय लिया।

9. पुगल रोड, बीकानेर, राजस्थान में 101.17 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में मैसर्स आरएनबी इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड द्वारा उन के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड की स्थापना

अनुमोदन बोर्ड ने नोट किया कि यह प्रस्ताव वुलेन एसईजेड के लिए है। राज्य सरकार ने भी प्रस्ताव की सिफारिश की है। तदनुसार, अनुमोदन बोर्ड ने पुगल रोड, बीकानेर, राजस्थान में 101.17 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में मैसर्स आरएनबी इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड द्वारा उन के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए सैद्धांतिक अनुमोदन प्रदान करने का निर्णय लिया।

17. गांव वर्षामेदी, तालुक अंजार, गुजरात में 284 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में नेटलाइन प्रेस लिमिटेड (अंजार एसईजेड लिमिटेड) द्वारा टेक्सटाइल एवं गारमेंट के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड की स्थापना :

अनुमोदन बोर्ड ने नोट किया कि यह प्रस्ताव क्षेत्र विशिष्ट वस्त्र एवं गारमेंट एसईजेड की स्थापना के लिए है और विकासक ने भूमि के टुकड़े का अधिग्रहण कर लिया है। राज्य सरकार ने भी सैद्धांतिक अनुमोदन के लिए प्रस्ताव की सिफारिश की है। यह भी सूचित किया गया कि आवेदक वेल्स्पून ग्रुप द्वारा प्रमोट की गई कंपनी है। अनुमोदन बोर्ड ने गांव वर्षामेदी, तालुक अंजार, गुजरात में 284 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में नेटलाइन प्रेस लिमिटेड (अंजार एसईजेड लिमिटेड) द्वारा टेक्सटाइल एवं गारमेंट के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए सैद्धांतिक अनुमोदन प्रदान करने का निर्णय लिया।

29. बैकमपैडी एवं आसपास का क्षेत्र, मंगलौर, कर्नाटक में 1320 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में मंगलौर एसईजेड लिमिटेड द्वारा बहु उत्पाद एसईजेड की स्थापना

अनुमोदन बोर्ड ने नोट किया कि यह प्रस्ताव बहु उत्पाद एसईजेड के लिए है तथा राज्य सरकार ने प्रस्ताव की सिफारिश की है। तदनुसार, अनुमोदन बोर्ड ने बैकमपैडी एवं आसपास का क्षेत्र, मंगलौर, कर्नाटक में 1320 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में मंगलौर एसईजेड लिमिटेड द्वारा बहु उत्पाद एसईजेड स्थापित करने के लिए सैद्धांतिक अनुमोदन प्रदान करने का निर्णय लिया।

44. होबली, अनेकल तालुक, जिला बंगलौर, कर्नाटक में **468.62** हेक्टेयर के क्षेत्रफल में आदर्श प्रादम प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड की स्थापना

अनुमोदन बोर्ड ने नोट किया कि यह प्रस्ताव कर्नाटक में एक बड़ा आईटी / आईटीईएस एसईजेड स्थापित करने के लिए है। भूमि पर विकासक का कब्जा नहीं है और विकासकों की वित्तीय रिपोर्टें भी रिकार्ड में उपलब्ध नहीं हैं। तथापि, राज्य सरकार के प्रतिनिधि ने अनुमोदन बोर्ड को सूचित किया कि वित्तीय दृष्टि से विकासक की स्थिति बहुत मजबूत है और उन्होंने कर्नाटक में अनेक परियोजनाएं निष्पादित की हैं। राज्य सरकार ने प्रस्ताव की पुरजोर सिफारिश की है। तदनुसार, अनुमोदन बोर्ड ने होबली, अनेकल तालुक, जिला बंगलौर, कर्नाटक में 468.62 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में आदर्श प्रादम प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए सैद्धांतिक अनुमोदन प्रदान करने का निर्णय लिया।

51. शिकोहपुर, जिला गुडगांव, हरियाणा में **100** हेक्टेयर के क्षेत्रफल में एमार एमजीएफ लैंड प्राइवेट लिमिटेड द्वारा आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड की स्थापना

अनुमोदन बोर्ड ने नोट किया कि यह प्रस्ताव विशाल क्षेत्र विशिष्ट आईटी / आईटीईएस एसईजेड के लिए है। राज्य सरकार ने भी प्रस्ताव की सिफारिश की है। इस बात को ध्यान में रखते हुए कि इस प्रस्ताव में एफडीआई शामिल है, अनुमोदन बोर्ड ने शिकोहपुर, जिला गुडगांव, हरियाणा में 100 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में एमार एमजीएफ लैंड प्राइवेट लिमिटेड द्वारा आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए इस शर्त के अधीन सैद्धांतिक अनुमोदन प्रदान करने का निर्णय लिया कि विदेशी प्रत्यक्ष निवेश उक्त एसईजेड की स्थापना के लिए विकासक / सह विकासक द्वारा किए गए कुल निवेश का कम से कम 50 प्रतिशत होना चाहिए।

53. जिला गुडगांव, हरियाणा में **28** हेक्टेयर के क्षेत्रफल में एमार एमजीएफ लैंड प्राइवेट लिमिटेड द्वारा आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड की स्थापना

अनुमोदन बोर्ड ने नोट किया कि यह प्रस्ताव गुडगांव, हरियाणा में क्षेत्र विशिष्ट आईटी / आईटीईएस एसईजेड के लिए है। राज्य सरकार ने भी प्रस्ताव की सिफारिश की है। इस बात को ध्यान में रखते हुए कि इस प्रस्ताव में एफडीआई शामिल है, अनुमोदन बोर्ड ने जिला गुडगांव, हरियाणा में 28 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में एमार एमजीएफ लैंड प्राइवेट लिमिटेड द्वारा आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए इस शर्त के अधीन सैद्धांतिक अनुमोदन प्रदान करने का निर्णय लिया कि विदेशी प्रत्यक्ष निवेश उक्त एसईजेड की स्थापना के लिए विकासक / सह विकासक द्वारा किए गए कुल निवेश का कम से कम 50 प्रतिशत होना चाहिए।

54. ग्राम खिड़की दौला और सिही, जिला गुडगांव, हरियाणा में **20** हेक्टेयर के क्षेत्रफल में एमार एमजीएफ लैंड प्राइवेट लिमिटेड द्वारा आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड की स्थापना

अनुमोदन बोर्ड ने नोट किया कि यह प्रस्ताव ग्राम खिड़की दौला और सिही, जिला गुड़गांव, हरियाणा में क्षेत्र विशिष्ट आईटी / आईटीईएस एसईजेड के लिए है। राज्य सरकार ने भी प्रस्ताव की सिफारिश की है। इस बात को ध्यान में रखते हुए कि इस प्रस्ताव में एफडीआई शामिल है, अनुमोदन बोर्ड ने ग्राम खिड़की दौला और सिही, जिला गुड़गांव, हरियाणा में 20 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में एमार एमजीएफ लैंड प्राइवेट लिमिटेड द्वारा आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए इस शर्त के अधीन सैद्धांतिक अनुमोदन प्रदान करने का निर्णय लिया कि विदेशी प्रत्यक्ष निवेश उक्त एसईजेड की स्थापना के लिए विकासक / सह विकासक द्वारा किए गए कुल निवेश का कम से कम 50 प्रतिशत होना चाहिए।

55. ग्राम बोडा कलां, जिला गुड़गांव, हरियाणा में **4000** हेक्टेयर के क्षेत्रफल में एमार एमजीएफ लैंड प्राइवेट लिमिटेड द्वारा बहु उत्पाद एसईजेड की स्थापना

अनुमोदन बोर्ड ने नोट किया कि यह प्रस्ताव ग्राम बोडा कलां, जिला गुड़गांव, हरियाणा में बहु उत्पाद एसईजेड के लिए है। राज्य सरकार ने भी प्रस्ताव की सिफारिश की है। इस बात को ध्यान में रखते हुए कि इस प्रस्ताव में एफडीआई शामिल है, अनुमोदन बोर्ड ने ग्राम बोडा कलां, जिला गुड़गांव, हरियाणा में 4000 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में एमार एमजीएफ लैंड प्राइवेट लिमिटेड द्वारा बहु उत्पाद एसईजेड स्थापित करने के लिए इस शर्त के अधीन सैद्धांतिक अनुमोदन प्रदान करने का निर्णय लिया कि विदेशी प्रत्यक्ष निवेश उक्त एसईजेड की स्थापना के लिए विकासक / सह विकासक द्वारा किए गए कुल निवेश का कम से कम 50 प्रतिशत होना चाहिए।

56. ग्राम जहाजपुर, जिला गुड़गांव, हरियाणा में **2000** हेक्टेयर के क्षेत्रफल में एमार एमजीएफ लैंड प्राइवेट लिमिटेड द्वारा बहु उत्पाद एसईजेड की स्थापना

अनुमोदन बोर्ड ने नोट किया कि यह प्रस्ताव ग्राम जहाजपुर, जिला गुड़गांव, हरियाणा में बहु उत्पाद एसईजेड के लिए है। राज्य सरकार ने भी प्रस्ताव की सिफारिश की है। इस बात को ध्यान में रखते हुए कि इस प्रस्ताव में एफडीआई शामिल है, अनुमोदन बोर्ड ने ग्राम जहाजपुर, जिला गुड़गांव, हरियाणा में 2000 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में एमार एमजीएफ लैंड प्राइवेट लिमिटेड द्वारा बहु उत्पाद एसईजेड स्थापित करने के लिए इस शर्त के अधीन सैद्धांतिक अनुमोदन प्रदान करने का निर्णय लिया कि विदेशी प्रत्यक्ष निवेश उक्त एसईजेड की स्थापना के लिए विकासक / सह विकासक द्वारा किए गए कुल निवेश का कम से कम 50 प्रतिशत होना चाहिए।

57. लखनौला, जिला गुड़गांव, हरियाणा में **240** हेक्टेयर के क्षेत्रफल में एमार एमजीएफ लैंड प्राइवेट लिमिटेड द्वारा आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड की स्थापना

अनुमोदन बोर्ड ने नोट किया कि यह प्रस्ताव लखनौला, जिला गुड़गांव, हरियाणा में क्षेत्र विशिष्ट आईटी / आईटीईएस एसईजेड के लिए है। राज्य सरकार ने भी प्रस्ताव की सिफारिश की है। इस बात को ध्यान में रखते हुए कि इस प्रस्ताव में एफडीआई शामिल है, अनुमोदन बोर्ड ने लखनौला, जिला गुड़गांव, हरियाणा में 240 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में एमार एमजीएफ लैंड प्राइवेट लिमिटेड द्वारा क्षेत्र विशिष्ट आईटी / आईटीईएस एसईजेड स्थापित करने के लिए इस शर्त के अधीन सैद्धांतिक

अनुमोदन प्रदान करने का निर्णय लिया कि विदेशी प्रत्यक्ष निवेश उक्त एसईजेड की स्थापना के लिए विकासक / सह विकासक द्वारा किए गए कुल निवेश का कम से कम 50 प्रतिशत होना चाहिए।

60. माचीगढ़, भूपानी, जिला फरीदाबाद, हरियाणा में **1000** हेक्टेयर के क्षेत्रफल में एमार एमजीएफ लैंड प्राइवेट लिमिटेड द्वारा बहु उत्पाद एसईजेड की स्थापना

अनुमोदन बोर्ड ने नोट किया कि यह प्रस्ताव माचीगढ़, भूपानी, जिला फरीदाबाद, हरियाणा में बहु उत्पाद एसईजेड के लिए है। राज्य सरकार ने भी प्रस्ताव की सिफारिश की है। इस बात को ध्यान में रखते हुए कि इस प्रस्ताव में एफडीआई शामिल है, अनुमोदन बोर्ड ने माचीगढ़, भूपानी, जिला फरीदाबाद, हरियाणा में 1000 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में एमार एमजीएफ लैंड प्राइवेट लिमिटेड द्वारा बहु उत्पाद एसईजेड स्थापित करने के लिए इस शर्त के अधीन सैद्धांतिक अनुमोदन प्रदान करने का निर्णय लिया कि विदेशी प्रत्यक्ष निवेश उक्त एसईजेड की स्थापना के लिए विकासक / सह विकासक द्वारा किए गए कुल निवेश का कम से कम 50 प्रतिशत होना चाहिए।

61. बानसकुसला, जिला गुड़गांव, हरियाणा में **100** हेक्टेयर के क्षेत्रफल में एमार एमजीएफ लैंड प्राइवेट लिमिटेड द्वारा आटो एंसिलरी के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड की स्थापना

अनुमोदन बोर्ड ने नोट किया कि यह प्रस्ताव बानसकुसला, जिला गुड़गांव, हरियाणा में आटो एंसिलरी के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड के लिए है तथा राज्य सरकार ने भी प्रस्ताव की सिफारिश की है। इस बात को ध्यान में रखते हुए कि इस प्रस्ताव में एफडीआई शामिल है, अनुमोदन बोर्ड ने बानसकुसला, जिला गुड़गांव, हरियाणा में 100 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में एमार एमजीएफ लैंड प्राइवेट लिमिटेड द्वारा आटो एंसिलरी के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए इस शर्त के अधीन सैद्धांतिक अनुमोदन प्रदान करने का निर्णय लिया कि विदेशी प्रत्यक्ष निवेश उक्त एसईजेड की स्थापना के लिए विकासक / सह विकासक द्वारा किए गए कुल निवेश का कम से कम 50 प्रतिशत होना चाहिए।

62. बानस हरिया, जिला गुड़गांव, हरियाणा में **120** हेक्टेयर के क्षेत्रफल में एमार एमजीएफ लैंड प्राइवेट लिमिटेड द्वारा आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड की स्थापना

अनुमोदन बोर्ड ने नोट किया कि यह प्रस्ताव बानस हरिया, जिला गुड़गांव, हरियाणा में क्षेत्र विशिष्ट आईटी / आईटीईएस एसईजेड के लिए है। राज्य सरकार ने भी प्रस्ताव की सिफारिश की है। इस बात को ध्यान में रखते हुए कि इस प्रस्ताव में एफडीआई शामिल है, अनुमोदन बोर्ड ने बानस हरिया, जिला गुड़गांव, हरियाणा में 120 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में एमार एमजीएफ लैंड प्राइवेट लिमिटेड द्वारा क्षेत्र विशिष्ट आईटी / आईटीईएस एसईजेड स्थापित करने के लिए इस शर्त के अधीन सैद्धांतिक अनुमोदन प्रदान करने का निर्णय लिया कि विदेशी प्रत्यक्ष निवेश उक्त एसईजेड की स्थापना के लिए विकासक / सह विकासक द्वारा किए गए कुल निवेश का कम से कम 50 प्रतिशत होना चाहिए।

63. नावेदा फतेहपुर, जिला गुड़गांव, हरियाणा में **40** हेक्टेयर के क्षेत्रफल में एमार एमजीएफ लैंड प्राइवेट लिमिटेड द्वारा रत्न एवं आभूषण के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड की स्थापना

अनुमोदन बोर्ड ने नोट किया कि यह प्रस्ताव नावेदा फतेहपुर, जिला गुड़गांव, हरियाणा में क्षेत्र विशिष्ट रत्न एवं आभूषण एसईजेड के लिए है। राज्य सरकार ने भी प्रस्ताव की सिफारिश की है। इस बात को ध्यान में रखते हुए कि इस प्रस्ताव में एफडीआई शामिल है, अनुमोदन बोर्ड ने नावेदा फतेहपुर, जिला गुड़गांव, हरियाणा में 40 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में एमार एमजीएफ लैंड प्राइवेट लिमिटेड द्वारा क्षेत्र विशिष्ट रत्न एवं आभूषण एसईजेड स्थापित करने के लिए इस शर्त के अधीन सैद्धांतिक अनुमोदन प्रदान करने का निर्णय लिया कि विदेशी प्रत्यक्ष निवेश उक्त एसईजेड की स्थापना के लिए विकासक / सह विकासक द्वारा किए गए कुल निवेश का कम से कम 50 प्रतिशत होना चाहिए।

66. पुणे, महाराष्ट्र में 100 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में पार्श्वनाथ डवलपर्स लिमिटेड द्वारा आटोमोटिव एवं आटो कंपोनेंट उद्योग के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड की स्थापना

अनुमोदन बोर्ड ने नोट किया कि यह प्रस्ताव पुणे, महाराष्ट्र में आटोमोटिव एवं आटो कंपोनेंट उद्योग के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड के लिए है तथा राज्य सरकार ने भी प्रस्ताव की सिफारिश की है। तदनुसार, अनुमोदन बोर्ड ने पुणे, महाराष्ट्र में 100 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में पार्श्वनाथ डवलपर्स लिमिटेड द्वारा आटोमोटिव एवं आटो कंपोनेंट उद्योग के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए सैद्धांतिक अनुमोदन प्रदान करने का निर्णय लिया।

67. इंदौर, मध्य प्रदेश में 30.76 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में पार्श्वनाथ डवलपर्स लिमिटेड द्वारा आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड की स्थापना

अनुमोदन बोर्ड ने नोट किया कि यह प्रस्ताव मध्य प्रदेश में आईटी / आईटीईएस एसईजेड स्थापित करने के लिए है जहां एसईजेड प्रस्तवों की संख्या बहुत अधिक नहीं है। इसलिए अनुमोदन बोर्ड ने इंदौर, मध्य प्रदेश में 30.76 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में मैसर्स पार्श्वनाथ डवलपर्स लिमिटेड द्वारा क्षेत्र विशिष्ट आईटी / आईटीईएस एसईजेड स्थापित करने के लिए सैद्धांतिक अनुमोदन प्रदान करने का निर्णय लिया।

69. आगरा, उत्तर प्रदेश में 100 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में पार्श्वनाथ डवलपर्स लिमिटेड द्वारा चमड़ा एवं चमड़ा उत्पाद के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड की स्थापना

अनुमोदन बोर्ड ने नोट किया कि यह प्रस्ताव आगरा जो चमड़ा उत्पादों का केंद्र है, में चमड़ा एवं चमड़ा उत्पाद के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए है। राज्य सरकार ने प्रस्ताव की सिफारिश की है। तदनुसार, अनुमोदन बोर्ड ने आगरा, उत्तर प्रदेश में 100 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में पार्श्वनाथ डवलपर्स लिमिटेड द्वारा चमड़ा एवं चमड़ा उत्पाद के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए सैद्धांतिक अनुमोदन प्रदान करने का निर्णय लिया।

70. कुंडली, सोनीपत, हरियाणा में 100 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में पार्श्वनाथ डवलपर्स लिमिटेड द्वारा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड की स्थापना

अनुमोदन बोर्ड ने नोट किया कि यह प्रस्ताव खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड के लिए है तथा राज्य सरकार ने प्रस्ताव की सिफारिश की है। तदनुसार, अनुमोदन बोर्ड ने कुंडली,

सोनीपत, हरियाणा में 100 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में पार्श्वनाथ डवलपर्स लिमिटेड द्वारा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए सैद्धांतिक अनुमोदन प्रदान करने का निर्णय लिया।

72. टटानारम गांव, रंगारेड्डी जिला, हैदराबाद, आंध्र प्रदेश में 10.11 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में पार्श्वनाथ डवलपर्स लिमिटेड द्वारा बायोटेक फार्मा के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड की स्थापना

अनुमोदन बोर्ड ने नोट किया कि यह प्रस्ताव आंध्र प्रदेश में बायोटेक फार्मा के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड के लिए है तथा राज्य सरकार ने प्रस्ताव की सिफारिश की है। तथापि, चूंकि बायोटेक और फार्मा दो अलग अलग क्षेत्र हैं तथा जैव प्रौद्योगिकी एक उदीयमान क्षेत्र है इसलिए अनुमोदन बोर्ड ने टटानारम गांव, रंगारेड्डी जिला, हैदराबाद, आंध्र प्रदेश में 10.11 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में पार्श्वनाथ डवलपर्स लिमिटेड द्वारा जैव प्रौद्योगिकी के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए सैद्धांतिक अनुमोदन प्रदान करने का निर्णय लिया।

।

73. सहस्त्र धारा रोड, देहरादून, उत्तरांचल में 14 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में पार्श्वनाथ डवलपर्स लिमिटेड द्वारा आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड की स्थापना :

अनुमोदन बोर्ड ने नोट किया कि यह प्रस्ताव उत्तरांचल में एक छोटा आईटी / आईटीईएस स्थापित करने के लिए है। हालांकि राज्य सरकार की सिफारिश प्राप्त नहीं हुई है परंतु इस बात को ध्यान में रखते हुए कि उत्तरांचल में एसईजेड की स्थापना के लिए अतीत में कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है, अनुमोदन बोर्ड ने सहस्त्र धारा रोड, देहरादून, उत्तरांचल में 14 हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र में पार्श्वनाथ डवलपर्स लिमिटेड द्वारा क्षेत्र विशिष्ट आईटी / आईटीईएस की स्थापना के लिए सैद्धांतिक अनुमोदन प्रदान करने का निर्णय लिया।

77. घाटा, गुड़गांव, हरियाणा में 132 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में रहेजा डवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा आईटीईएस सहित इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर एवं साफ्टवेयर के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड की स्थापना :

अनुमोदन बोर्ड ने नोट किया कि यह प्रस्ताव इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर एवं साफ्टवेयर के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड के लिए है तथा राज्य सरकार ने भी प्रस्ताव की सिफारिश की है। तदनुसार, अनुमोदन बोर्ड ने घाटा, गुड़गांव, हरियाणा में 132 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में रहेजा डवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा आईटीईएस सहित इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर एवं साफ्टवेयर के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए औपचारिक अनुमोदन प्रदान करने का निर्णय लिया।

79. कोयंबटूर जिला, तमिलनाडु में 107.24 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में आरएनबी इनफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड द्वारा टेक्सटाइल के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड की स्थापना :

अनुमोदन बोर्ड ने नोट किया कि यह प्रस्ताव टेक्सटाइल के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड के लिए है तथा राज्य सरकार ने प्रस्ताव की सिफारिश की है। तदनुसार, अनुमोदन बोर्ड ने कोयंबटूर जिला,

तमिलनाडु में 107.24 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में आरएनबी इनफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड द्वारा टेक्सटाइल के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए सैद्धांतिक अनुमोदन प्रदान करने का निर्णय लिया।

90. पुणे, तालुक मावल, महाराष्ट्र में **2000** हेक्टेयर के क्षेत्रफल में टाउनशिप डवलपर्स इंडिया लिमिटेड द्वारा बहु उत्पाद एसईजेड की स्थापना :

अनुमोदन बोर्ड ने नोट किया कि यह प्रस्ताव बहु उत्पाद एसईजेड के लिए है तथा राज्य सरकार ने भी प्रस्ताव की सिफारिश की है। तदनुसार, अनुमोदन बोर्ड ने पुणे, तालुक मावल, महाराष्ट्र में 2000 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में टाउनशिप डवलपर्स इंडिया लिमिटेड द्वारा बहु उत्पाद एसईजेड स्थापित करने के लिए सैद्धांतिक अनुमोदन प्रदान करने का निर्णय लिया।

95. मुरादाबाद, उत्तर प्रदेश में **100** हेक्टेयर के क्षेत्रफल में पार्श्वनाथ डवलपर्स लिमिटेड द्वारा हैंडीक्राफ्ट के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड की स्थापना :

अनुमोदन बोर्ड ने नोट किया कि यह प्रस्ताव मुरादाबाद में हैंडीक्राफ्ट के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड के लिए है जो फोकस क्षेत्र है तथा राज्य सरकार ने भी प्रस्ताव की सिफारिश की है। तदनुसार, अनुमोदन बोर्ड ने मुरादाबाद, उत्तर प्रदेश में 100 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में पार्श्वनाथ डवलपर्स लिमिटेड द्वारा हैंडीक्राफ्ट के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए सैद्धांतिक अनुमोदन प्रदान करने का निर्णय लिया।

97. कांचीपुरम, तमिलनाडु में **1000** हेक्टेयर के क्षेत्रफल में पार्श्वनाथ डवलपर्स लिमिटेड द्वारा बहु उत्पाद एसईजेड की स्थापना :

अनुमोदन बोर्ड ने नोट किया कि यह प्रस्ताव बहु उत्पाद एसईजेड के लिए है तथा राज्य सरकार ने प्रस्ताव की सिफारिश की है। तदनुसार, अनुमोदन बोर्ड ने कांचीपुरम, तमिलनाडु में 1000 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में पार्श्वनाथ डवलपर्स लिमिटेड द्वारा बहु उत्पाद एसईजेड स्थापित करने के लिए सैद्धांतिक अनुमोदन प्रदान करने का निर्णय लिया।

100. दिघी पोर्ट, जिला रायगढ़, महाराष्ट्र में **100** हेक्टेयर के क्षेत्रफल में बालाजी इनफ्रा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड द्वारा एफटीडब्ल्यूजेड सहित पोर्ट आधारित बहु उत्पाद एसईजेड की स्थापना :

अनुमोदन बोर्ड ने नोट किया कि यह प्रस्ताव पोर्ट आधारित बहु उत्पाद एसईजेड के लिए है तथा राज्य सरकार ने प्रस्ताव की सिफारिश की है। हालांकि प्रमोटर के वित्तीय ब्यौरे रिकार्ड में उपलब्ध नहीं हैं, राज्य सरकार के प्रतिनिधि ने सूचित किया कि यही कंपनी पोर्ट का संचालन कर रही है और इस बात को ध्यान में रखते हुए कि भूमि पर कंपनी का कब्जा है तथा सैद्धांतिक अनुमोदन के लिए राज्य सरकार की सिफारिश के आधार पर अनुमोदन बोर्ड ने दिघी पोर्ट, जिला रायगढ़, महाराष्ट्र में 100 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में बालाजी इनफ्रा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड द्वारा एफटीडब्ल्यूजेड सहित पोर्ट

आधारित बहु उत्पाद एसईजेड स्थापित करने के लिए सैद्धांतिक अनुमोदन प्रदान करने का निर्णय लिया।

108. मंगलौर पोर्ट के पास, कर्नाटक में 486 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में सुजलोन इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड द्वारा हाइटेक इंजीनियरिंग उत्पाद एवं संबद्ध सेवा के लिए पोर्ट आधारित एसईजेड की स्थापना :

अनुमोदन बोर्ड ने नोट किया कि यह प्रस्ताव सुजलोन ग्रुप से पोर्ट आधारित हाइटेक इंजीनियरिंग उत्पाद एवं संबद्ध सेवा एसईजेड के लिए है जो गैर परंपरागत ऊर्जा क्षेत्र में जाना पहचाना नाम है तथा राज्य सरकार ने भी प्रस्ताव की जोरदार सिफारिश की है। तदनुसार, अनुमोदन बोर्ड ने मंगलौर पोर्ट के पास, कर्नाटक में 486 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में सुजलोन इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड द्वारा गैर परंपरागत ऊर्जा उत्पादन एवं निर्माण के लिए पोर्ट आधारित एसईजेड स्थापित करने के लिए सैद्धांतिक अनुमोदन प्रदान करने का निर्णय लिया।

(ग) ऐसे प्रस्तावों की सूची अनुबंध 1 के रूप में संलग्न है जिन्हें अनुमोदन बोर्ड द्वारा न्यूनतम निर्धारित क्षेत्रफल उपलब्ध न होने के कारण अस्वीकार कर दिया गया।

(घ) ऐसे प्रस्तावों की सूची अनुबंध 2 के रूप में संलग्न हैं जिन्हें आवेदकों द्वारा वापस ले लिया गया।

(ड.) राज्य सरकार की सिफारिशें उपलब्ध न होने, प्रमोटरों की वित्तीय रिपोर्टें उपलब्ध न होने, प्रस्तावित एसईजेड का आकार छोटा होने, किसी खास राज्य में या उसी विकासक के नाम में काफी संख्या में अनुमोदन मौजूद होने आदि के कारण अनुमोदन बोर्ड द्वारा नए प्रस्तावों के लिए एजेंडा के क्रमांक 1 से 111 तक के सभी प्रस्तावों जो उपर्युक्त क, ख, ग और घ में सूचीबद्ध प्रस्तावों से भिन्न हैं, पर विचार करना आस्थगित कर दिया गया। आस्थगित प्रस्तावों की सूची अनुबंध 3 के रूप में संलग्न है।

अन्य प्रस्ताव

एजेंडा की मद संख्या 6

औपचारिक अनुमोदन

1. एचसीएल टेक्नोलॉजीज द्वारा नोएडा में आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड के संबंध में औपचारिक अनुमोदन के लिए अनुरोध :

अनुमोदन बोर्ड ने प्रस्ताव पर विचार करना आस्थगित करने का निर्णय लिया।

2. एस्सार जामनगर एसईजेड डवलपर लिमिटेड द्वारा जामनगर, गुजरात में एसईजेड के संबंध में औपचारिक अनुमोदन के लिए अनुरोध :

अनुमोदन बोर्ड ने प्रस्ताव पर विचार करना आस्थगित करने का निर्णय लिया।

पुष्टि के मामले

1. पोसित्रा, जिला जामनगर, गुजरात में 20000 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में मुंबई इंटीग्रेटेड एसईजेड लिमिटेड द्वारा बहु उत्पाद एसईजेड की स्थापना :

राज्य सरकार के प्रतिनिधि ने सूचित किया कि राज्य सरकार द्वारा पोसित्रा प्रस्ताव अभी तक अनुमोदित नहीं किया गया है। अनुमोदन बोर्ड ने आवेदन को अस्वीकार करने का निर्णय लिया।

2. दादरी, उत्तर प्रदेश में 2023 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में रिलायंस एनर्जी जनरेशन लिमिटेड द्वारा बहु उत्पाद एसईजेड की स्थापना :

राज्य सरकार के प्रतिनिधि ने सूचित किया कि भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया अभी तक पूरी नहीं हुई है और उन्होंने सैद्धांतिक अनुमोदन का स्टेटस बनाए रखने की सिफारिश की। तदनुसार, अनुमोदन बोर्ड ने दादरी, उत्तर प्रदेश में 2023 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में रिलायंस एनर्जी जनरेशन लिमिटेड द्वारा बहु उत्पाद एसईजेड स्थापित करने के लिए सैद्धांतिक अनुमोदन प्रदान करने का निर्णय लिया।

3. गांधीनगर इलेक्ट्रॉनिक एस्टेट, गांधीनगर, गुजरात में 28 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में जीआईडीसी द्वारा इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड की स्थापना :

राज्य सरकार के प्रतिनिधि ने सूचित किया कि भूमि पर कब्जा है तथा उन्होंने औपचारिक अनुमोदन प्रदान करने की सिफारिश की। तदनुसार, अनुमोदन बोर्ड ने गांधीनगर इलेक्ट्रॉनिक एस्टेट, गांधीनगर, गुजरात में 28 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में जीआईडीसी द्वारा इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए औपचारिक अनुमोदन प्रदान करने का निर्णय लिया।

4. टेक्नोपार्क कैंपस के पास 12.55 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में टवीपीएम टेक्नोलॉजी पार्क्स - केरल द्वारा आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड की स्थापना :

राज्य सरकार के प्रतिनिधि ने सूचित किया कि भूमि पर कब्जा है तथा उन्होंने औपचारिक अनुमोदन प्रदान करने की सिफारिश की। तदनुसार, अनुमोदन बोर्ड ने टेक्नोपार्क कैंपस के पास 12.55 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में टवीपीएम टेक्नोलॉजी पार्क्स - केरल द्वारा आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए औपचारिक अनुमोदन प्रदान करने का निर्णय लिया।

5. मंगलौर, कर्नाटक में 203 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में कर्नाटक औद्योगिक क्षेत्र विकास बोर्ड द्वारा आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड की स्थापना :

राज्य सरकार के प्रतिनिधि ने सूचित किया कि भूमि पर कब्जा है तथा उन्होंने औपचारिक अनुमोदन प्रदान करने की सिफारिश की। तदनुसार, अनुमोदन बोर्ड ने मंगलौर, कर्नाटक में 203 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में कर्नाटक औद्योगिक क्षेत्र विकास बोर्ड द्वारा आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए औपचारिक अनुमोदन प्रदान करने का निर्णय लिया।

6. मालापुरम, केरल में 12 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में केरल औद्योगिक अवसंरचना विकास निगम (किनफ्रा) द्वारा खाद्य प्रसंस्करण के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड की स्थापना :

अनुमोदन बोर्ड ने नोट किया कि इस मामले पर पहले विचार किया जा चुका है।

7. त्रिवेंद्रम, केरल में 10.12 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में केरल औद्योगिक अवसंरचना विकास निगम (किनफ्रा) द्वारा गेमिंग और गेमिंग इंडस्ट्री के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड की स्थापना :

अनुमोदन बोर्ड ने नोट किया कि इस मामले पर पहले विचार किया जा चुका है।

8. कोचीन, केरल में 12 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में केरल औद्योगिक अवसंरचना विकास निगम (किनफ्रा) द्वारा इलेक्ट्रानिक्स उद्योग के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड की स्थापना :

भूमि के खाली होने के संबंध में स्थिति स्पष्ट न होने के कारण अनुमोदन बोर्ड ने प्रस्ताव पर विचार करना आस्थगित करने का निर्णय लिया।

9. बंगलौर, कर्नाटक में 19.22 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में सेसना गार्डेन डवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड की स्थापना :

राज्य सरकार के प्रतिनिधि ने सूचित किया कि भूमि पर कब्जा है तथा उन्होंने औपचारिक अनुमोदन प्रदान करने की सिफारिश की। तदनुसार, अनुमोदन बोर्ड ने बंगलौर, कर्नाटक में 19.22 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में सेसना गार्डेन डवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए औपचारिक अनुमोदन प्रदान करने का निर्णय लिया।

10. बंगलौर - मैसूर हाइवे, बंगलौर, कर्नाटक में 27.16 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में टैंगलिंग डवलपमेंट लिमिटेड द्वारा आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड की स्थापना :

राज्य सरकार के प्रतिनिधि ने सूचित किया कि भूमि पर कब्जा है तथा उन्होंने औपचारिक अनुमोदन प्रदान करने की सिफारिश की। तदनुसार, अनुमोदन बोर्ड ने बंगलौर - मैसूर हाइवे, बंगलौर, कर्नाटक में 27.16 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में टैंगलिंग डवलपमेंट लिमिटेड द्वारा आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए औपचारिक अनुमोदन प्रदान करने का निर्णय लिया।

सह विकासक का दर्जा प्राप्त करने के लिए अनुमोदन प्राप्त करने हेतु मामले :

1. रिलायंस इनफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड के एसईजेड में अवसंरचना सुविधाएं प्रदान करने के लिए सह विकासक के रूप में रिलायंस पोर्ट्स एंड टर्मिनल्स लिमिटेड की नियुक्ति के लिए अनुमोदन

अनुमोदन बोर्ड ने नोट किया कि उक्त क्षेत्र को अभी तक एसईजेड के रूप में अनुमोदित नहीं किया गया है और इसलिए उस क्षेत्र के लिए सह विकासक की नियुक्ति के लिए अनुरोध समय से पूर्व है।

2. रिलायंस इनफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड के एसईजेड में अवसंरचना सुविधाएं प्रदान करने के लिए सह विकासक के रूप में रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड की नियुक्ति के लिए अनुमोदन

अनुमोदन बोर्ड ने प्रस्ताव को अनुमोदित करने का निर्णय लिया।

3. रिलायंस इनफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड के एसईजेड में सह उत्पादन विद्युत संयंत्र स्थापित करने के लिए सह विकासक के रूप में रिलायंस यूटिलिटीज प्राइवेट लिमिटेड की नियुक्ति के लिए अनुमोदन

अनुमोदन बोर्ड ने प्रस्ताव को अनुमोदित करने का निर्णय लिया।

4. रिलायंस इनफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड के एसईजेड में अवसंरचना सुविधाएं प्रदान करने के लिए सह विकासक के रूप में रिलायंस इंजीनियरिंग एसोसिएट्स प्राइवेट लिमिटेड की नियुक्ति के लिए अनुमोदन

अनुमोदन बोर्ड ने प्रस्ताव को अनुमोदित करने का निर्णय लिया।

5. श्रीपेरंबदूर, तमिलनाडु में तमिलनाडु राज्य उद्योग संवर्धन निगम (सिपकाॅट) के एसईजेड में सह विकासक के रूप में मोटरोला इंडिया प्राइवेट लिमिटेड की नियुक्ति के लिए अनुमोदन

अनुमोदन बोर्ड ने प्रस्ताव को अनुमोदित करने का निर्णय लिया।

6. श्रीपेरंबदूर, तमिलनाडु में तमिलनाडु राज्य उद्योग संवर्धन निगम (सिपकाॅट) के एसईजेड में सह विकासक के रूप में फॉक्सकॉन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड की नियुक्ति के लिए अनुमोदन

अनुमोदन बोर्ड ने प्रस्ताव को अनुमोदित करने का निर्णय लिया।

अधिकृत प्रचालनों के लिए अनुमोदन का अनुरोध करने वाले मामले :

7. राठीवास, भोदाकलां एवं भुडका गांव, गुडगांव में मैसर्स उप्पल हाउसिंग लिमिटेड द्वारा एसईजेड के संबंध में अधिकृत प्रचालन का अनुमोदन

अनुमोदन बोर्ड ने अनुरोध पर विचार करना आस्थगित करने का निर्णय लिया।

8. चिपाडा गांव, विशाखापट्टनम, आंध्र प्रदेश में मैसर्स दिवीज लैबोरेटरीज लिमिटेड द्वारा एसईजेड के संबंध में अधिकृत प्रचालन का अनुमोदन

अनुमोदन बोर्ड द्वारा अनुबंध 4 में प्रदान किए गए ब्यौरे के अनुसार अधिकृत प्रचालनों को मंजूरी प्रदान की गई।

9. पुणे, महाराष्ट्र में मैसर्स सीरम बायोफार्मा पार्क द्वारा एसईजेड के संबंध में अधिकृत प्रचालन का अनुमोदन

अनुमोदन बोर्ड द्वारा अनुबंध 5 में प्रदान किए गए ब्यौरे के अनुसार अधिकृत प्रचालनों को मंजूरी प्रदान की गई।

10. खराडी, पुणे, महाराष्ट्र में मैसर्स इयॉन खराडी इनफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड द्वारा एसईजेड के संबंध में अधिकृत प्रचालन का अनुमोदन

अनुमोदन बोर्ड ने नोट किया कि यह अनुरोध समय से पहले है क्योंकि कोई औपचारिक अनुमोदन प्रदान नहीं किया गया है।

11. श्रीपेरंबदूर, चेन्नई, तमिलनाडु में मैसर्स फ्लेक्सट्रोनिक्स टेक्नोलॉजीज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड द्वारा एसईजेड के संबंध में अधिकृत प्रचालनों के लिए प्रदान किए गए अनुमोदन की पुष्टि

अध्यक्ष ने सूचित किया कि फाइल पर अधिकृत प्रचालनों - कारखाना भवन, प्रशासनिक भवन तथा चारदीवारी के निर्माण के लिए मंजूरी प्रदान की गई थी। अनुमोदन बोर्ड ने लिए गए निर्णय की पुष्टि की। अनुमोदन बोर्ड ने अधिकृत प्रचालनों - कैंटीन एवं अन्य संबद्ध गतिविधियों के लिए भी मंजूरी प्रदान की।

12. विशाखापट्टनम में मैसर्स हेट्रो ड्रग्स लिमिटेड द्वारा एसईजेड के संबंध में अधिकृत प्रचालनों का अनुमोदन

अनुमोदन बोर्ड द्वारा अनुबंध 6 में प्रदान किए गए ब्यौरे के अनुसार अधिकृत प्रचालनों को मंजूरी प्रदान की गई।

13. राजीव गांधी इनफोटेक पार्क, हिंजेवाड़ी, फेज 3, पुणे, महाराष्ट्र में मैसर्स एमआईडीसी द्वारा एसईजेड के संबंध में अधिकृत प्रचालन का अनुमोदन

अनुमोदन बोर्ड द्वारा अनुबंध 7 में प्रदान किए गए ब्यौरे के अनुसार अधिकृत प्रचालनों को मंजूरी प्रदान की गई।

14. विशाखापट्टनम जिला, आंध्र प्रदेश में मेसर्स रामकी फार्मा सिटी इंडिया लिमिटेड द्वारा एसईजेड के संबंध में अधिकृत प्रचालनों का अनुमोदन

अनुमोदन बोर्ड ने अनुरोध पर विचार करना आस्थगित करने का निर्णय लिया क्योंकि इस मामले में औपचारिक अनुमोदन प्रदान नहीं किया गया है।

15. चेन्नई में सह विकासक मैसर्स महिंद्रा गेस्को डवलर्स लिमिटेड द्वारा महिंद्रा वर्ल्ड सिटी आईटी एसईजेड के गैर प्रसंस्करण क्षेत्र के संबंध में अधिकृत प्रचालनों का अनुमोदन

अनुमोदन बोर्ड द्वारा अनुबंध 8 में प्रदान किए गए ब्यौरे के अनुसार अधिकृत प्रचालनों को मंजूरी प्रदान की गई।

16. नेल्लोर, आंध्र प्रदेश में मैसर्स अपाचे एसईजेड डवलपमेंट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड द्वारा एसईजेड के संबंध में (क) से (च) में सूचीबद्ध अधिकृत प्रचालनों के लिए अनुमोदन बोर्ड का कार्याल्लर अनुमोदन और (छ) से (झ) में सूचीबद्ध गतिविधियों के लिए अनुमोदन बोर्ड का नया अनुमोदन

अध्यक्ष ने सूचित किया कि अधिकृत प्रचालनों अर्थात (क) साइट विकास (ख) फुटवियर के निर्माण के लिए मुख्य कारखाना भवन (ग) चारदीवारी (घ) स्ट्रीट लाइट, सिग्नल, साइनेज, होर्डिंग, पेवमेंट आदि के साथ सड़क (ड.) विद्युत आपूर्ति प्रणाली (च) लैंडस्केपिंग (हॉर्टीकल्चर, पार्क और ग्रीन बेल्ट) के लिए मंजूरी प्रदान की गई है। अनुमोदन बोर्ड ने लिए गए निर्णय की पुष्टि की।

यह भी सूचित किया गया कि (छ) सामूहिक शयन कक्ष एवं लिविंग क्वार्टर (ज) मनोरंजन एवं खेल की सुविधाओं (झ) स्कूल के लिए भी अनुमोदन प्रदान करने का अनुरोध किया गया है। अनुमोदन बोर्ड ने (छ) और (झ) की गतिविधियों के लिए मंजूरी प्रदान की परंतु निर्देश दिया कि अनुमोदन समिति द्वारा इन गतिविधियों के आकार का निर्धारण किया जाएगा। अनुमोदन बोर्ड ने मनोरंजन एवं खेल की सुविधाओं के लिए अनुरोध को मंजूरी प्रदान नहीं की।

17. मोहाली में मैसर्स क्वार्कसिटी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड द्वारा मैसर्स क्वार्क सिटी एसईजेड के प्रसंस्करण क्षेत्र में अधिकृत प्रचालनों का अनुमोदन

अनुमोदन बोर्ड ने अनुरोध पर विचार करना आस्थगित करने का निर्णय लिया।

18. सिरुसेरी, चेन्नई, तमिलनाडु में मैसर्स टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज लिमिटेड द्वारा आईटी / आईटीईएस एसईजेड के संबंध में अधिकृत प्रचालनों का अनुमोदन

अनुमोदन बोर्ड द्वारा अनुबंध 9 में प्रदान किए गए ब्यौरे के अनुसार अधिकृत प्रचालनों को मंजूरी प्रदान की गई।

19. बंगलौर, कर्नाटक में मैसर्स विकास टेलीकाम लिमिटेड द्वारा आईटी / आईटीईएस एसईजेड के संबंध में अधिकृत प्रचालनों का अनुमोदन

अनुमोदन बोर्ड द्वारा अनुबंध 10 में प्रदान किए गए ब्यौरे के अनुसार अधिकृत प्रचालनों को मंजूरी प्रदान की गई।

अन्य अनुरोध

20. कोई आम रास्ता न होने की आवश्यकता से छूट प्रदान करने तथा अतिरिक्त भूमि को अधिसूचित करने के लिए गुजरात अडानी पोर्ट लिमिटेड से अनुरोध

अनुमोदन बोर्ड ने नोट किया कि एसईजेड के लिए अधिसूचना जारी नहीं हुई है। प्रस्ताव पर विचार करना आस्थगित करने का निर्णय लिया गया।

21. मुंद्रा, कच्छ, गुजरात में एसईजेड का क्षेत्रफल बढ़ाने के लिए अनुमति प्रदान करने के लिए गुजरात अडानी पोर्ट लिमिटेड से अनुरोध ताकि स्वामित्व / पट्टा पर और मौजूदा भूमि से संस्पर्शी भूमि का जीएपीएल द्वारा अधिग्रहण होने पर अतिरिक्त भूमि अधिसूचित की जा सके।

अनुमोदन बोर्ड ने नोट किया कि एसईजेड के लिए अधिसूचना जारी नहीं हुई है। प्रस्ताव पर विचार करना आस्थगित करने का निर्णय लिया गया।

22. सैद्धांतिक अनुमोदन की वैधता अवधि तीन साल के लिए अर्थात् 7 अगस्त 2009 तक बढ़ाने के लिए मुंबई इंटीग्रेटेड एसईजेड लिमिटेड का अनुरोध :

अनुमोदन बोर्ड ने विस्तृत जांच के लिए प्रस्ताव को आस्थगित करने का निर्णय लिया।

23. प्लास्टिक रिसाइकलिंग यूनिटों के एलओए की वैधता अवधि 31 जुलाई 2006 तक बढ़ाए जाने के लिए प्रदान किए गए अनुमोदन की पुष्टि

अध्यक्ष ने सूचित किया कि तीन माह के लिए अर्थात् 31 जुलाई 2006 तक प्लास्टिक रिसाइकलिंग यूनिटों के एलओए की वैधता अवधि बढ़ाने का निर्णय लिया गया है। अनुमोदन बोर्ड ने लिए गए निर्णय की पुष्टि करने का निर्णय लिया। तथापि, अनुमोदन बोर्ड ने नियमित विस्तार के लिए प्रस्ताव पर विचार करना आस्थगित कर दिया।

24. खाली भूमि के संबंध में अंतर्मंत्रालयी बैठक में लिए गए निर्णय की पुष्टि

अध्यक्ष ने सूचित किया कि एसईजेड नियमावली के नियम 7 (2) के प्रयोजनार्थ एसईजेड की स्थापना के लिए प्रस्तावित भूमि को खाली भूमि के रूप में मानने का निर्णय लिया गया है, यदि एसईजेड की

स्थापना के लिए अनुमोदन बोर्ड को मूल आवेदन दाखिल करने के समय भूमि खाली है। अनुमोदन बोर्ड ने लिए गए निर्णय की पुष्टि की।

25. भूमि का क्षेत्रफल 20 हेक्टेयर से बढ़ाकर 25.5 हेक्टेयर (63.75 एकड़) करके जयपुर, राजस्थान में आईटी / आईटीईएस एसईजेड के लिए 17 मार्च 2006 को प्रदान किए गए एलओए में संशोधन के लिए मैसर्स वाटिका जयपुर एसईजेड डवलपर्स लिमिटेड का अनुरोध

अनुमोदन बोर्ड ने विस्तृत जांच के लिए प्रस्ताव पर विचार करना आस्थगित करने का निर्णय लिया।

26. आंध्र प्रदेश सरकार के साथ मिलकर एक लाइफ साइंस क्लस्टर की स्थापना के लिए मंजूरी प्रदान करने के लिए मेडविन हॉस्पिटल्स का अनुरोध

अनुमोदन बोर्ड ने विस्तृत जांच के लिए प्रस्ताव पर विचार करना आस्थगित करने का निर्णय लिया।

27. फर्मास्युटिकल्स, फाइन केमिकल्स तथा स्पेशियलिटी केमिकल्स के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड के लिए मंजूरी प्रदान करने के लिए मैसर्स जुबिलेंट आर्गनोसिस लिमिटेड का अनुरोध

अनुमोदन बोर्ड ने निर्णय लिया कि चूंकि 17 मार्च 2006 को आयोजित अनुमोदन बोर्ड की बैठक में फर्मास्युटिकल के लिए एक क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड के लिए उनके पिछले अनुमोदन को मंजूरी प्रदान की गई है इसलिए वे केमिकल्स के लिए नए प्रस्तावित क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड के लिए नया आवेदन दाखिल कर सकते हैं।

28. बंगलौर के पास कग्गलहल्ली में अपैरल और टेक्सटाइल के लिए सैद्धांतिक रूप से अनुमोदित एसईजेड में असेसरीज तथा लेदर अपैरल की यूनिटों की स्थापना के लिए मंजूरी प्रदान करने के लिए मैसर्स गोकलदास एक्सपोर्ट्स अपैरल एंड टेक्सटाइल पार्क प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

अनुमोदन बोर्ड ने नोट किया कि जिप, स्नैप, टैप आदि जैसी असेसरीज अपैरल के लिए अनुपूरक हैं। यह भी नोट किया गया कि क्षेत्र विशिष्ट अपैरल पार्क में किसी प्रकार के अपैरल का निर्माण किया जा सकता है और यह कि लेदर अपैरल भी अपैरल का एक प्रकार है। अनुमोदन बोर्ड ने अपैरल एवं टेक्सटाइल पार्क में लेदर अपैरल तथा सभी अपैरल असेसरीज की यूनिटें स्थापित करने के लिए मंजूरी प्रदान करने का निर्णय लिया।

29. मैसर्स मटुको टोबैको इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, सिक्ंदराबाद द्वारा निर्यात के लिए पूर्णतः या आंशिक रूप से तंबाकू से भरे कट रैग टोबैको (सिगरेट फिलिंग टोबैको) की प्रोसेसिंग के लिए वीएसईजेड में यूनिट स्थापित करने के लिए अनुरोध

अनुमोदन बोर्ड ने विस्तृत जांच के लिए प्रस्ताव को आस्थगित करने का निर्णय लिया।

30. पट्टाभी एग्रो फूड्स प्राइवेट लिमिटेड, वेलपुर, तानुकू मंडल, डब्ल्यूजी जिला द्वारा निर्यात के लिए पॉलिशड राइस की प्रोसेसिंग के लिए वीएसईजेड में यूनिट की स्थापना के लिए अनुरोध

अनुमोदन बोर्ड ने विस्तृत जांच के लिए प्रस्ताव को आस्थगित करने का निर्णय लिया।

31. वीएसईजेड में प्रस्तावित बायो डीजल परियोजनाओं के लिए विशाखापट्टनम सी पोर्ट से वीएसईजेड तक लिक्विड कार्गो को ट्रांसफर करने के लिए 14 इंच की एमएस पाइपलाइन बिछाने के लिए अनुरोध

अनुमोदन बोर्ड ने विस्तृत जांच के लिए प्रस्ताव को आस्थगित करने का निर्णय लिया।

32. होबली, बंगलौर में आईटी / आईटीईएस के लिए एसईजेड का क्षेत्रफल मूल आवेदन में उल्लिखित 24.79 हेक्टेयर से बढ़ाकर संशोधित फार्म ए के अनुसार 27.908 हेक्टेयर करने तथा आदर्श प्राइम प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड को मंजूरी प्रदान करने के लिए अनुरोध

अनुमोदन बोर्ड ने विस्तृत जांच के लिए प्रस्ताव को आस्थगित करने का निर्णय लिया।

33. धौलपुर, राजस्थान में शू तथा शू अपर सेक्टर के स्थान पर पत्थर और पत्थर उत्पाद के लिए एसईजेड स्थापित करने के लिए मैसर्स राजस्थान एक्सप्लोसिव एंड केमिकल्स लिमिटेड द्वारा संशोधित प्रस्ताव के अनुमोदन के लिए अनुरोध, जिसे अनुमोदन बोर्ड की पिछली बैठक में इस आधार पर आस्थगित कर दिया गया था कि इस मामले में राज्य सरकार अंतिम निर्णय लेगी।

अनुमोदन बोर्ड ने विस्तृत जांच के लिए प्रस्ताव को आस्थगित करने का निर्णय लिया तथा निर्देश दिया कि विचार करने के लिए इसे अनुमोदन बोर्ड की अगली बैठक में सूचीबद्ध किया जाना चाहिए।

34. धाड़, मध्य प्रदेश फ्लैट स्टील उत्पाद के लिए एसईजेड की स्थापना के लिए मैसर्स रुचि स्ट्रिप्स लिमिटेड द्वारा संशोधित प्रस्ताव के अनुमोदन के लिए अनुरोध जिसे अनुमोदन बोर्ड की पिछली बैठक में इस आधार पर अस्वीकार कर दिया गया था कि मौजूदा यूनिट प्रस्तावित स्थल पर काम कर रही है।

अनुमोदन बोर्ड ने विस्तृत जांच के लिए प्रस्ताव को आस्थगित करने का निर्णय लिया तथा निर्देश दिया कि विचार करने के लिए इसे अनुमोदन बोर्ड की अगली बैठक में सूचीबद्ध किया जाना चाहिए।

35. भुज, गुजरात में फ्लैट स्टील उत्पाद के लिए एसईजेड की स्थापना के लिए मैसर्स इंडियन स्टील कार्पोरेशन लिमिटेड द्वारा संशोधित प्रस्ताव के अनुमोदन के लिए अनुरोध जिसे अनुमोदन बोर्ड की पिछली बैठक में इस आधार पर अस्वीकार कर दिया गया था कि मौजूदा यूनिट प्रस्तावित स्थल पर काम कर रही है।

अनुमोदन बोर्ड ने विस्तृत जांच के लिए प्रस्ताव को आस्थगित करने का निर्णय लिया तथा निर्देश दिया कि विचार करने के लिए इसे अनुमोदन बोर्ड की अगली बैठक में सूचीबद्ध किया जाना चाहिए।

दिवीज लैबोरेटरी लिमिटेड

1. स्थल विकास
2. रोड और ड्रेन
3. विद्युत वितरण लाइन
4. जल भंडारण / वितरण
5. यूटिलिटीज जैसे कि स्टीम, ब्राइन और चिल्ड वाटर
6. कैटीन और कन्फ्रेंस रूम

सीरम बायो फार्मा पार्क

1. स्ट्रीट लाइट, रोड, गार्डन, ड्रेनेज सिस्टम के साथ भूमि का विकास
2. विनिर्माताओं की आवश्यकताओं के अनुरूप भवनों का निर्माण
3. सीवेज तथा निस्सारी शोधन की सुविधाएं, ठोस अपशिष्ट प्रबंध की सुविधाएं
4. लिक्विड तथा गैस के लिए भंडारण टैंक और इंटरकनेक्टिंग पाइप लाइन
5. दूरसंचार, डाटा पारेषण नेटवर्क तथा सूचना प्रौद्योगिकी नेटवर्क के अलावा विद्युत, गैस, स्टीम एवं ऊर्जा के अन्य रूपों का उत्पादन एवं वितरण
6. डिसैलिनेशन प्लांट, स्वच्छता की सुविधाएं

हेटरो इंफ्रास्ट्रक्चर एसईजेड लिमिटेड

प्रसंस्करण क्षेत्र में विकास की प्रस्तावित गतिविधियां

- (1) स्थल विकास
- (2) चारदीवारी या वायर मेस फेंसिंग का निर्माण
- (3) सड़कों का निर्माण
- (4) जलापूर्ति एवं स्वच्छता तथा सीवेज प्रणालियां स्थापित करना
- (5) विद्युत वितरण प्रणाली
- (6) दूरसंचार की सुविधाएं
- (7) एपीपीसीबी के विनिर्देशों के अनुसार कॉमन ईटीपी

गैर प्रसंस्करण क्षेत्र में विकास की प्रस्तावित गतिविधियां

- (1) मनोरंजन की सुविधाएं : जिम, प्ले कोर्ट
- (2) सामाजिक सुविधाएं : औद्योगिक / कार्यपालक कैंटीन तथा डिस्पेंसरी
- (3) विकासक का सीमा शुल्क कार्यालय सह सेवा भवन

एमआईडीसी

- 1 आंतरिक सड़कें (कंक्रीट तथा डब्ल्यूबीएम शोधित डामर)
- 2 एसईजेड क्षेत्र को पानी की आपूर्ति प्रदान करने के लिए जलापूर्ति योजना
- 3 जल वितरण प्रणाली
- 4 सीवेज / निस्सारी संग्रहण प्रणाली
- 5 प्राथमिक, द्वितीय और तृतीयक शोधन के साथ सीवेज शोधन संयंत्र
- 6 हेलीपैड
- 7 सड़क के किनारे स्ट्रीट लाइट
- 8 अपेक्षित लोकेशन पर एसटी और एलटी नेटवर्क एवं ट्रांसफार्मर लगाना
- 9 वृक्ष संवर्धन, वृक्षारोपण, लैंडस्केपिंग तथा सौंदर्यीकरण
- 10 कैंटीन, शॉप, डाक घर, बैंक, मनोरंजन केन्द्र आदि सहित सामान्य सुविधा केन्द्र; कार्यालय भवन एवं स्टाफ क्वार्टर, जल संग्रहण एवं वितरण संप तथा पंप हाउस आदि
- 11 ऑप्टिकल फाइबर एवं अन्य केबल आदि बिछाने के लिए ट्रेंचिंग
- 12 एसईजेड तथा आंतरिक इमारतों की चारदीवारी / फेंसिंग
- 13 फायर स्टेशन
- 14 थाना

15 ट्रक टर्मिनल

16 सीमा शुल्क कार्यालय

17 विकास आयुक्त, एसईजेड कार्यालय

18 विश्राम गृह एवं शौचालय ब्लॉक

19 पार्किंग स्पेस

महिंद्रा गेस्को

सुविधाएं

1. क्लब हाउस
2. टेनिस कोर्ट
3. स्क्वैश कोर्ट

बाहरी विकास / अवसंरचना

1. मेन गेट
2. काम्पाउन्ड वाल
3. हार्डस्केपिंग सहित सड़कें
4. रिटेनिंग वाल और कलवर्ट
5. बरसाती पानी के नाले
6. लैंडस्केपिंग
7. जल वितरण प्रणाली
8. अंडरग्राउंड संप
9. सीवर लाइन
10. मल शोधन संयंत्र
11. सब स्टेशन एवं वितरण प्रणाली
12. स्ट्रीट लाइट
13. जनरेटर
14. इलेक्ट्रिकल और टीवी / टेलीफोन पाइपिंग
15. वर्षा जल संचयन

टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज

अन्य अवसंरचना का विकास एवं अनुरक्षण तथा अन्य सुविधाओं का प्रावधान जैसे कि :

- साफ्टवेयर विकास ब्लाक
- कैंटीन और प्रशिक्षण केन्द्र के साथ सामान्य सेवा ब्लाक
- ऑडिटोरियम - 1500 की क्षमता
- पुस्तकालय
- जिम एवं स्वीमिंग पूल तथा इंडोर एवं आउटडोर स्पोर्ट्स की अन्य सुविधाओं के साथ मनोरंजन ब्लाक (अनुमोदन समिति द्वारा सुनिश्चित वर्णन के लिए मंजूरी प्रदान की जाएगी)
- इंटर कनेक्टिविटी सहित दूरसंचार तथा अन्य संचार सुविधाएं
- सीवेज शोधन संयंत्र
- विद्युत (पावर बैकअप के लिए सुविधाएं सहित)
- पार्किंग
- लैंडस्केपिंग
- ओपन एयर एंपीथिएटर

विकास टेलीकाम लिमिटेड

गतिविधियां प्रसंस्करण क्षेत्र में संचालित करने के लिए प्रस्तावित गतिविधियां :

- अवसंरचना का विकास एवं अनुरक्षण तथा विशेष रूप से प्रसंस्करण क्षेत्र की यूनिटों द्वारा उपभोग एवं प्रयोग के लिए अन्य सुविधाएं, जैसे कि :
- आईटी / आईटीईएस यूनिटों की स्थापना के लिए कार्यालय / वाणिज्यिक स्थान
- बैंकिंग की सुविधाएं (एटीएम के रूप में)
- कामगार कैंटीन, रेस्टोरेंट, फूड कोर्ट, कैफेटेरिया
- कैफेटेरिया
- इंटर कनेक्टिविटी सहित दूरसंचार तथा अन्य संचार सुविधाएं
- सीवेज शोधन संयंत्र
- वर्षा जल संचयन संयंत्र
- विद्युत संयंत्र
- पानी
- स्माल गुड्स सपोर्ट रिटेल
- क्रेच
- हेल्थ क्लब / जिम
- डिस्पेंसरी, चिकित्सा सहायता की सुविधाएं आदि (यूनिट अनुमोदन समिति द्वारा आकार का निर्धारण किया जाएगा)

- पार्किंग

गैर प्रसंस्करण क्षेत्र में संचालित करने के लिए प्रस्तावित गतिविधियां :

- सहायक अवसंरचना का विकास एवं अनुरक्षण तथा अन्य सुविधाओं का प्रावधान, जैसे कि :
- मल्टी टीनेट ऑफिस स्पेस
- पार्किंग
- लैंडस्केपिंग आदि
- आईटी अधिभोक्ताओं के लिए अन्य सहायक अवसंरचना सुविधाएं